

दूसरी ए.आर.सी. रिपोर्ट- विवाद सुलझाने के लिये क्षमता निर्माण

अध्याय 1 : परिचय

विवाद की परिभाषा दो अथवा अधिक पक्षकारों के बीच एक ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो अपने परिदृश्य को असंयोज्य समझते हैं। विवादों का एक नकारात्मक लाभप्रद अर्थ अभिधान है कि कुछ विवाद वांछनीय हैं क्योंकि उनसे परिवर्तन आता है।

सोलहवीं शताब्दी के एक कवि जॉन डोने ने लिखा था, “कोई भी व्यक्ति अपने आपमें एक द्वीप नहीं है।” व्यक्ति अपने आपको अनेक समूहों के सदस्य समझते हैं जो अपने अनेक हितों पर बल देते हैं। उदाहरण के लिये किसी व्यक्ति की भौगोलिक उत्पत्ति, लिंग, श्रेणी, भाषा, राजनीति, वांशिक प्रथा, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिबद्धताएँ उसे विभिन्न समूहों का सदस्य बनाती हैं। इनमें से प्रत्येक समूह, जिससे व्यक्ति संबंधित है, उसे एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं, किन्तु सभी को मिलाकर उसकी अनेक पहचान है।

पहचान की खोज एक सशक्त मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक ताकत है जिसने मानव सभ्यता को बढ़ावा दिया है। पहचान प्रायः एक आह्वान है। यह एक भ्रम अथवा कल्पित समुदाय से संबंधित है जिसमें राजनीतिक अभिप्रेरण के लिये आवश्यक सभी शक्ति और क्षमता मौजूद है। पहचान की भावना किसी व्यक्ति के अन्यों के साथ, जैसे कि उसके पड़ोसी, उसके समुदाय के सदस्यों, साथी नागरिकों अथवा एक ही धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ, संबंधों में ताकत और उकसाहट पैदा करने में अपार योगदान कर सकती है और फरि भी पहचान से आघात भी पहुँच सकता है।

बहुत से मामलों में किसी एक समूह से संबंधित होने की एक मज़बूत तथा अनन्य भावना से विवाद उत्पन्न हो सकता है। आजकल अनेक विवाद एक अनूठी और पसंदहीन पहचान के भ्रम के ज़रिये बने हुए हैं। ऐसे मामलों में, घृणा पैदा करने की कला कुछ कथित प्रभावशाली पहचान की कल्पित शक्ति प्राप्त करने का रूप ले लेती है जो अन्यों पर बलिकूल हावी हो जाती है। उपयुक्त उकसाहट के साथ, एक समूह के लोगों के साथ पहचान की एक थोपी गई भावना प्रायः अन्यों पर अत्याचार करने का एक सशक्त साधन बन जाता है तथा उसका नतीजा घृणा और हिंसा की तीव्रता समाज के ताने-बाने के लिये एक वास्तविक खतरा पैदा करती है।

अध्याय 2: विवाद समाधान-एक वैचारिक ढाँचा

संघर्ष के स्तर-एक जीवन चक्र दृष्टिकोण

कोई संघर्ष एकल घटना लक्षण नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके भिन्न-भिन्न चरण हैं-

- **वैयक्तिक अथवा सामाजिक तनाव:** ऐसे तनाव तब उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति या समूह यह महसूस करे कि उसके साथ गलती हुई है अथवा उसे उसका उचित हक प्राप्त नहीं हुआ है।
- **अंतरनैतिक विवाद:** तनाव की वजह से अन्याय की भावना पनपती है और धीरे-धीरे असंतोष पनपता है। तथापि, इस स्तर पर, इन तनावों में अधिकारियों आदिके साथ अनुरोध का रूप शामिल हो सकता है।
- **तनावों में वृद्धि:** प्रशासन द्वारा अनसुनी शिकायतें, उपेक्षा चिताएँ और तनावों की वजह से असंतोष में और वृद्धि होती है।
- **वसिफोट:** यदि तनावों का उपयुक्त रूप से समाधान न किया गया तो थोड़ी सी चिन्ता से हिंसा भड़क सकती है।
- **ठहराव:** यह स्थिति अंतरनैतिक तनाव जैसी है और न्यतिरति अंतरालों पर फूट पड़ने की संभावना रहती है।

विवाद समाधान और संवधान

- संवधान में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और प्रौढ़ मताधिकार का मार्ग चुना गया।
- भारत के संवधान में, एक मज़बूत संघ के साथ बहुवाद, संघवाद की व्यवस्था करके समाज के अल्प सुवधि प्राप्त वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये, देश में विविध समूहों के लिये माहौल तैयार किया गया जिससे किराबटर निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार कायम हो सके।
- एक सशक्त और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करने के अलावा, संवधान में विवादों के निपटान के लिये संस्थानों के सृजन की व्यवस्था की गई है, जैसे कि जल विवाद, राज्यों के बीच विवाद आदि।
- विवादों निपटान करने के लिये राज्य को क्या करना चाहिये? आदर्शतः राज्य को विवाद की जड़ पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये तथा उससे पहले की समस्याएँ बड़ी बन जाएँ और संघर्ष में बदल जाएँ, उनका समाधान खोजा जाना चाहिये। एक बार उनका पता लग जाने पर, उपयुक्त प्रशासनिक व संस्थागत उपाय खोजे जाने और ऐसे संघर्षों की संभावना को न्यूनतम करने में मदद देने के लिये उनका उत्साहपूर्वक पालन किया जाना चाहिये।

अध्याय 3: वाम उग्रवाद (Left Extremism)

A. वाम उग्रवाद: प्रसार और तीव्रता

वाम उग्रवाद प्रकोप, जिसे बाद में नक्सली आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा, प. बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के तीन पुलिस स्टेशन इलाकों (नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और फांसीदेवा) में मार्च 1967 शुरू हुआ। आंदोलन का नक्सलबाड़ी चरण (1967-68) ने मई-जून 1967 के दौरान तेज़ी पकड़ी कति जुलाई-अगस्त 1967 तक उस पर नयितरण पा लिया गया। आजकल, वाम उग्रवाद आंदोलन एक जटिल कड़ी है जो बहुत से राज्यों में पैला है। गृह मंत्रालय के अनुसार इस समय नौ राज्यों, यथा- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल में 76 ज़िले चरमपंथी वाम उग्रवाद से प्रभावित हैं जिनमें एक लगभग सतत नक्सल गलियारा बना लिया है।

B. आंदोलन की प्रकृति

वाम उग्रवादी आंदोलन मुख्यतः कृषि संबंधी रहा है कइसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष और कुशासन को अभिप्रेरित करना है।

C. वाम उग्रवाद के प्रसार के कारण

1. भू-संबंध कारक

- भू-सीमा कानूनों का उल्लंघन
- समाज के सशक्त वर्गों द्वारा सरकारी और सामुदायिक ज़मीनों पर अनधिकृत कब्ज़ा।
- भूमहीन गरीबों द्वारा जोती जाने वाली सरकारी भूमि पर हकदारी का अभाव।

2. वसिथापन और ज़बरदस्ती बेदखली

- जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रयुक्त भूमियों से बेदखली।
- पुनर्वास हेतु पर्याप्त व्यवस्था कयि बनिा सचिाई और वदियुत परयिोजनाओं के कारण वसिथापन।
- समुचित हरजाने और पुनर्वास के बनिा सार्वजनिक परयोजनार्थ बड़े पैमाने पर भू-अधग्रहण।

3. आजीविका-संबंध कारक

- खाद्य सुरक्षा का अभाव- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- साझे संपत्ति संसाधनों में पारंपरिक अधिकारों से वंचना।

4. सामाजिक बहिष्कार

- सम्मान न दिया जाना।
- कुछ क्षेत्रों में, वभिन्नि रूपों में असुपृश्यता प्रथा का जारी रहना।
- अत्याचारों को रोकने, नागरिक अधिकारों के संरक्षण और बँधुआ मज़दूरी आदि संबंधी वशिष कानूनों का घटिया अनुपालन।

5. सरकार संबंध कारक

- अनविर्य सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार और संतोषजनक ढंग से प्रदान कयिा जाना/प्रदान न कयिा जाना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शक्तिा सहति।
- अक्षम, कु-प्रशक्ति और असंतोषजनक प्रेरणा वाले सरकारी कार्मिक जो अपनी तैनाती के स्थान से अधकिांशतः अनुपस्थति रहते हैं।
- पुलिस द्वारा शक्तिियों का दुरुपयोग और कानून के मानदंडों का उल्लंघन।
- मतदान राजनीति की वक्तिा और स्थानीय शासन संस्थानों का असंतोषजनक कामकाज।

D. वाम उग्रवादी संघर्षों का समाधान- सफलताएँ और असफलताएँ

बहुत से वाम उग्रवादी आंदोलनों का, वशिष रूप से नक्सलवादी के उत्थान का, सफलतापूर्वक समाधान हो सकता है।

- वर्ष 1972 के बाद से, प. बंगाल सरकार ने नक्सल प्रभावित ज़िलों में अनेक सुधारात्मक उपाय कयिे। छोटे किसानों को इनपुट और ऋण मुहैया कराने के लयिे एक वसितुत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP) प्रारंभ कयिा गया तथा सरकार ने उनके उत्पाद के वपिणन की ज़िमेदारी सँभाली।
- प. बंगाल में, वर्ष 1977 में वाम मोर्चे की सरकार शासन में आने के बाद, बटाईकर्त्ताओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लयिे ऑपरेशन बर्गा शुरू कयिा गया। इसके साथ-साथ न्यूनतम मज़दूरी में पर्याप्त वृद्धि की गई जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुँचा। परिणामस्वरूप, इन सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वति वयक्तिा नक्सलवाद से दूर होने लगे तथा इस प्रक्रयिा से इन क्षेत्रों में नक्सलवाद के अंत की शुरुआत हो गई।
- कर्नाटक के वाम उग्रवाद प्रभावित पावगडा तालुका में प्रशासन के एक बार शक्तिा पड़ जाने तथा अपनी सक्रयि भूमिका से पीछे हटने से वाम उग्रवाद

उस क्षेत्र में फरि से उभरने लगा।

- इसके विपरीत, वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। राज्य के बस्तर क्षेत्र में, जहाँ वाम उग्रवाद ने जड़े जमा लीं, स्थानीय प्रतारिध दलों, नामतः सलवा जुद्ध को कायम करने से भी मदद नहीं मिली है। यद्यपि, सलवा जुद्ध को उग्रवादियों के विरुद्ध जनसमूह की तुरंत जागृति के रूप में बताया जाता है।
- पं. बंगाल मॉडल लागू करते हुए पावगडा में कथि प्रयोग को इस समय वाम उग्रवाद द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, लागू करने का एक ऐसा मामला है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। यह स्पष्ट है कि विकास और कल्याण उपायों के एक विकल्पपूर्ण मशिरण और साथ ही भू-सुधारों व सुनयोजित विरोह-रोधी प्रचलनों की ज़रूरत है जिससे विश्वास बहाल हो सके।

E. वाम उग्रवाद का प्रबंधन- राजनीतिक प्रतिमान

- इस बात पर बल देने की ज़रूरत है कि यद्यपि वाम उग्रवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में शासन में आना है तथापि तात्कालिक मार्ग सामाजिक न्याय, ... समानता, सम्मान और सार्वजनिक सेवाओं में ईमानदारी के लिये संघर्ष करने के रूप में है।
- संक्षेप में, उग्रवाद, सामान्य और विकास प्रशासन की सतत और गंभीर कमियों पर फलता-पूलता है, जिसके फलस्वरूप भूमि, खाद्य, पानी और वैयक्तिक सुरक्षा, साम्यता, जातगत/सांस्कृतिक पहचान आदि से संबंधित क्षेत्रों में गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने में सरकार की असफलता प्रदर्शित होती है।
- नयित्ण की ऐसी कार्यानीति को वास्तविक रूप देने के लिये राज्य तथा सविलि सोसायटी के तंत्र के अंदर चहुँमुखी क्षमता निर्माण, प्रयासों में ईमानदारी व कर्मठता और एक जवाबदेह व परादर्शी प्रशासन की ज़रूरत होगी।

हसिक वाम उग्रवाद से निपटने के लिये धरना क्षमता निर्माण

वाम उग्रवाद द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये विभिन्न साधनों और राज्य व सविलि सोसायटी के घटकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है-

- सुरक्षा बल
- प्रशासनिक संस्थान
- सरकारी कार्यालय
- स्थानीय निकाय
- सविलि सोसायटी संगठन

नक्सली उत्पात से निपटने के लिये सरकारी नीति

- सरकार हसि में लपित होने वाले नक्सलियों के साथ कठोरता से निपटेगी।
- इस बात को देखते हुए कि नक्सलवाद कानून और व्यवस्था समस्या नहीं है, सरकार की नीति इस समस्या से निपटने के लिये एक व्यापक ढंग से राजनीतिक सुरक्षा, विकास और सार्वजनिक बोध प्रबंधन मोर्चा पर भी साथ-साथ कार्रवाई करने की होगी।
- नक्सलवाद एक अंतर-राज्यीय समस्या होने के नाते राज्य एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तथा इसका मुकाबला करने के लिये एक समन्वित कार्रवाई करेंगे।
- राज्यों द्वारा पुलिसि प्रतिरिया में और सुधार करने तथा नक्सलवादियों और उनके आधारिक ढाँचे के खिलाफ अलग-अलग व संयुक्त रूप से एक प्रभावी और लगातार पुलिसि कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
- प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समूहों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं की जाएगी जब तक कि वे हसि और शस्त्र का त्याग न करें।
- राजनीतिक दलों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने संवर्ग आधार को मज़बूत बनाना चाहिये जिससे कि संक्षम युवाओं को नक्सली विचारधारा के मार्ग से अलग किया जा सके।
- उन राज्यों द्वारा, जहाँ से नक्सली गतिविधि/प्रभाव की, न कि नक्सली हसि की, रिपोर्ट प्राप्त हो, पछिड़े क्षेत्रों के त्वरित समाजार्थिक विकास पर विशेष बल के साथ एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये तथा NGO., बुद्धिजीवियों, नागरिक आज़ादी समूहों आदि के साथ नयिमति रूप से अन्यान्यकरिया की जानी चाहिये ताकि नक्सली विचारधारा और गतिविधि के लिये आधारीय सहायता कम से कम हो सके।
- नक्सलियों के विरुद्ध स्थानीय प्रतारिध समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास जारी रहेंगे कति ऐसे ढंग से ग्राम जातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए और क्षेत्र में सुरक्षा बलों का प्रभावी प्रभुत्व कायम किया जाए।
- नक्सली हसि की व्यर्थता और इसके कारण जान व माल के नुकसान तथा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की विकास स्कीमों के बारे में जनसंचार साधनों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिये ताकि सरकारी तंत्र में लोगों का भरोसा और विश्वास बहाल हो सके।
- राज्यों को नक्सल प्रभावित जिलों के लिये एक उपयुक्त अंतरण नीति घोषित करनी चाहिये। नक्सल प्रभावित जिलों में एक स्थिर कार्यावधि के साथ, इच्छुक, प्रतबिद्ध और संक्षम अधिकारी तैनात किये जाने की ज़रूरत है। इन अधिकारियों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने तथा इन क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति में वृद्धि करने के लिये अधिक अधिकार और ढील दिये जाने की ज़रूरत है।
- आंध्र प्रदेश सरकार की नक्सलियों के लिये एक प्रभावी समर्पण व पुनर्वास नीति है और पछिले वर्षों के दौरान इसके अच्छे परिणाम रहे हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसी ही नीति अपनानी चाहिये।
- राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में उच्च प्राथमिकता प्रदान किये जाने की ज़रूरत है ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का तीव्र समाजार्थिक विकास नशित हो सके। इन क्षेत्रों में भू-सुधारों के तीव्र कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित करने, सड़कों, संचार, बजिली आदि जैसी भौतिक अवस्थापना का विकास सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- एक अन्य संबद्ध मुद्दा यह है कि कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यतः नक्सली काडरों द्वारा जबरन वसूली, भय अथवा धमकी के कारण विकास कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में ठेकेदार भी विकास कार्य करने के लिये तैयार नहीं होते। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में

अबाध विकास कार्यक्रमलाप सुकर बनाने के वास्ते पर्याप्त सुरक्षा व अन्य उपाय किये जाने की ज़रूरत है।

- केंद्रीय सरकार सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर प्रभावित राज्यों के पर्याप्त और संसाधनों को पूरक बनाना जारी रखेगी तथा समस्या का समाधान करने के लिये राज्यों के बीच अधिक समन्वय कायम करेगी।

नक्सलियों के धन स्रोतों को समाप्त करना

- अन्य उग्रवादी आंदोलन की तरह नक्सली आंदोलन भी धन जुटाता है जिससे उन्हें बने रहने में मदद मिलती है। ऐसा जुटाव स्थानीय लोगों से और प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएँ नष्टिपादित करने वाले ठेकेदारों से भी जबरन वसूली के रूप में होता है। इसके अलावा वन व खान प्रचालनों के माध्यम से भी धन जुटाया जाता है।
- बड़े पैमाने पर ठेकेदार परविहनकर्त्ता- उग्रवादी गठजोड़ और गैर-कानूनी खनन के साथ इसका संबंध व वाम उग्रवाद द्वारा प्रभावित पूरे क्षेत्र में वन उत्पाद के संग्रह से उग्रवादियों को बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है।
- एक कारगर जबरन वसूली-रोधी व आर्थिक अपराध संध कायम करने से यदि बिल्कुल नहीं तो उग्रवादियों के लिये ऐसे ये नधियन के स्रोतों में कमी आ सकती है।

सफ़ारिशें

- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, संसद में घोषित 14 सूत्री कार्यानीतिके आधार पर कार्रवाई का एक दीर्घावधिक (10 वर्ष) और अल्पावधिक (5 वर्ष) कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।
- 14 सूत्री कार्यानीतिके भावना से सहमत होते हुए उग्रवादी दलों के साथ बातचीत विवाद नपिटान की एक महत्त्वपूर्ण वधि होनी चाहिये।
- वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की उपयुक्त सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धिकरना।
- पुलिस और अर्द्ध-सैनिक कार्मिकों को संवेदीकृत बनाने सहित उनका प्रशिक्षण और अनुस्थापन किया जाना आवश्यक है।
- आंध्र प्रदेश में 'ग्रेहाउंड्स' की पद्धति पर प्रशिक्षित विशेष कार्य बलों का गठन, वाम उग्रवाद का समाधान करने के लिये पुलिस तंत्र में क्षमता निर्माण करने की कार्यानीतिके एक महत्त्वपूर्ण घटक होना चाहिये।
- स्थानीय स्तर के पुलिस स्टेशनों की स्थापना और सुदृढीकरण वाम उग्रवाद का समाधान करने की पुलिस प्रणाली कार्यानीतिके एक महत्त्वपूर्ण घटक होना चाहिये।
- अनुसूचित जनजात व अन्य पारंपरिक वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के वास्ते बहु-वषियक नगिरानी समितियों गठित की जा सकती हैं।
- संवैधानिक सुरक्षोपायों, विकास स्कीमों और भू-सुधार पहलों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन करने के लिये विशेष पर्याप्तों की ज़रूरत है।
- केंद्र प्रायोजित व अन्य स्कीमों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त ढील दी जानी चाहिये।
- राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियमों व अन्य वनियमों को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक वस्तितार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिये संशोधित करने और इन प्रावधानों के कार्यान्वयन का केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मॉनीटरन और प्रोत्साहन किया जाना चाहिये।
- गैर-कानूनी खनन/वन ठेकेदारों और परविहनकर्त्ताओं और उग्रवादियों के बीच गठजोड़ को समाप्त किया जाना चाहिये जिससे उग्रवादी आंदोलन के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये ठेकेदारों के स्थान पर सीमा सडक संगठन जैसी विशेष सरकारी एजेंसियों का उपयोग करना।

अध्याय4: भू-संबद्ध मुद्दे (Land Related Issues)

वर्ष 1950 और 1960 के दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सुधारों के सफल कार्यान्वयन से बचौलिये समाप्त हो गए तथा कृषि असंतोष में काफी कमी आई, तथापि इसके फलस्वरूप मालिकों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ। भूमिहीन श्रमिकों और छोटे तथा सीमांत किसानों को भूमि स्वामित्व प्रदान करने में कृषि जोतों की अधिकतम सीमा तय करने से सीमिति सफलता मिली।

- अधिक भू-वखंडन के कारण किसानों के समक्ष बहुत-सी अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। उदाहरण के लिये: उच्च ब्याज दरों पर ऋण, उस ऋण की प्रतपूर्ति दूसरा ऋण क्योँकी छोटी जोतों से मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाना किसान के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है।
- बकाया रहते ऋणों की वापसी अदायगी करने के लिये संसाधनों के अभाव की वजह से किसानों को और उधार लेना पड़ता है, जिससे एक कुचक्र का निर्माण होता है जिसकी वजह से अत्यंत कठिनाई पैदा होती है। ऋण का यह बोझ अक्सर किसानों को आत्महत्या करने के लिये बाध्य करता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के डाटा के अनुसार, 2001-05 अवधिके दौरान 86922 किसानों ने आत्महत्याएँ की जिनमें से 54 प्रतिशत निम्नलिखित चार राज्यों से थे: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र।
- अध्ययनों से पता चलता है बड़ी संख्या में ऐसी आत्महत्याओं के कारण हैं: ऋणग्रस्तता, फसल असफलता, आर्थिक स्थिति में गरिवट, सामाजिक स्थिति में ह्रास और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता।

सफ़ारिशें:

- छोटे और सीमांत किसानों को, प्रमुख रूप से 'स्वयंसेवी समूहों' (एस.एच.जी.) और सहकारिताओं के माध्यम से और सहायता प्रदान करके कृषि आधार का वस्तितार करना।

- अनौपचारिक ऋण को औपचारिक संस्थानों को अंतरति करना ।
- प्राकृतिक संसाधन आधार का पुनरुद्धार, विशेष रूप से वर्षापोषण क्षेत्त्रों में ।
- किसानों को कीमत और मांग घट-बढ़, मौसम की वषिमताओं और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से बचाने के लिये और अधिक प्रभावी जोखिम कवरेज प्रदान करना ।
- किसानों के लिये वैकल्पिक आजीविकाएँ सृजित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्त्रों में न केवल कृषि में बल्कि कृषि-भन्निन क्षेत्त्रक के विविधीकरण के लिये अधिक सरकारी नविश ।
- गरीब किसानों की ज़रूरतें और अधिक वशिष्ट रूप से पूरी करने के लिये नरिधनता उन्मूलन कार्यक्रम तथा ऐसे कार्यक्रम तैयार करने में किसान संगठनों को शामिल किया जाए ।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भू-सुधार परिषद स्थापित करने के सरकार के हाल ही के नरिणय और राष्ट्रीय परिषद के लिये इनपुट उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रि की अध्यक्षता में एक वशिषज्ज समिति का गठन करना, भू-सुधारों को पुनः सरकारी नीति उपायों की मुख्यधारा के अंतर्गत लाने के वास्ते एक स्वागत-योग्य कदम है ।
- वसिथापन
- देश के वृहद् समाजार्थक विकास के लिये भूमिका अधगिरहण आवश्यक है । भूमिका उपयोग और अधिक आर्थिक लाभार्थ करना और इस प्रकार समाज के लिये आर्थिक प्रतफिल में वृद्धि करना भूमिका अधगिरहण में अंतनरिहति सिद्धांत है ।
- भूमिका अधगिरहण करना सामान्यतः एक बड़ी समस्या है क्योंकि भूमि पर नरिभर रहने वाले व्यक्ति उन विभिन्न लाभों से वंचित हो जाते हैं जो वे उससे प्राप्त करते हैं और कभी-कभी आजीविका से भी ।
- भू-अधगिरहण कानूनों में खोने वालों के लिये अदा की जाने वाली उचित क्षतपूरति की व्यवस्था है । कति सामान्यतः इस प्रकार अदा की जाने वाली क्षतपूरति अपर्याप्त होती है ।
- भारत सरकार ने परयोजना प्रभावति परिवारों के पुनरवास और पुनःस्थापन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसे 2004 में अधसिचति किया गया था । इस नीतिके उद्देश्य थे:

(i) वसिथापन को कम करना तथा वसिथापति न करने वाले अथवा कम से कम वसिथापन करने वाले विकल्पों का पता लगाना ।

(ii) परयोजना प्रभावति परिवारों (Project Affected Families- PAFs) के पुनरवास और पुनःस्थापन की योजना तैयार करना, जनजातियों और भेद्य वर्गों की वशिष ज़रूरतों सहति ।

(iii) पी.ए.एफ. के लिये बेहतर रहन-सहन की व्यवस्था करना

(iv) परस्पर सहयोग के माध्यम से अपेक्षाकर्त्ता नकिया और PAFs के बीच सामंजस्यपूरण संबंध सुकर बनाना ।

- सूक्रीम के अंतर्गत नरिधारति है कि परयोजना प्रभावति परिवारों के पुनरवास और पुनःस्थापना के लिये सूक्रीम/योजना परयोजना प्रभावति परिवारों के प्रतनिधियों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिये और उसका वसिधपोषण उस नकिया द्वारा किया चाहिये जिसके लिये भूमिका अधगिरहण किया गया है । इसमें प्रभावति परिवारों के लिये पुनरवास पैकेज प्रदान करने के लिये भी मानदंड नरिधारति किये गए हैं ।

नई राष्ट्रीय पुनरवास और पुनरस्थापन (Resettlement and Rehabilitation) नीति

- भारत सरकार ने अक्टूबर 2007 में पुनरवास और पुनरस्थापन के संबंध में एक नई राष्ट्रीय नीति अनुमोदति की । नई नीति तथा संबद्ध विधायी उपायों का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के लिये भूमिका ज़रूरत और इसके साथ ही भू-स्वामियों व अन्यों, जैसे कि काशकारों, भूमिहीनों, कृषि व गैर-कृषि शर्मिकों, शिल्पकारों आदि के हतियों को संरक्षण प्रदान करने के बीच, जिनकी आजीविका अंतर्नरिहति भूमि पर नरिभर करती है, एक संतुलन कायम करना है ।
- नई नीतिके अंतर्गत प्रभावति परिवारों के लिये प्रस्तावति लाभों में सम्मिलित है: ज़मीन के लिये ज़मीन, उस सीमा तक जसि सीमा तक पुनरस्थापना क्षेत्त्रों में उपलब्ध होगी, 'प्रभावति परिवार' की परिभाषा के अंदर प्रत्येक न्यूकलीयर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति के लिये परयोजना में रोज़गार के लिये प्राथमिकता, रकितियों की उपलब्धता और प्रभावति व्यक्तियों की उपयुक्तता की शर्त पर: उपयुक्त रोज़गार और स्व रोज़गार प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण तथा कषमता नरिमाण; प्रभावति परिवारों से पात्र व्यक्तियों की शकिसा के लिये छात्रवृत्तियाँ; ठेकों के आवंटन तथा परयोजना स्थल में अथवा इसके इर्द-गिर्द अन्य आर्थिक अवसरों में सहकारिताओं के समूहों को प्राथमिकता; परयोजना में नरिमाण कार्य में इच्छुक प्रभावति परिवारों को ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्त्रों में मकान सहति; व अन्य लाभ ।
- नीति में यह भी व्यवस्था है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधगिहीत भूमि को, कसिी सार्वजनिक प्रयोजन को छोड़कर और वह भी केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, हस्तांतरति नहीं की जा सकती । यदि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई भूमि, कबज़ा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधतिक इस प्रयोजनार्थ अपर्युक्त रहती है तो वह संबंधति सरकार को वापस हो जाएगी ।
- हकदार व्यक्तियों को यह विकल्प होगा कि वे अपने पुनरवास अनुदान और क्षतपूरति राशिका 20 प्रतशित तक शेरों के रूप में ले सकते हैं यदि अधगिरहण नकिया शेर और ऋणपत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत कोई कंपनी हो; सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह अनुपात पुनरवास अनुदान और क्षतपूरति राशिका 50 प्रतशित तक ऊँचा हो सकता है ।
- केंद्रीय सरकार ने संसद में भू-अधगिरहण (संशोधन) विधियक, 2007 और पुनरवास तथा पुनरस्थापन विधियक, 2007 प्रस्तुत किया है । भू-अधगिरहण (संशोधन) विधियक का उद्देश्य भू-अधगिरहण अधनिधिम, 1894 के प्राधानों में संशोधन करना है ताकि विकास के लिये भूमिका ज़रूरत के बीच संतुलन कायम हो सके और उन व्यक्तियों के हतियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके जिनकी ज़मीन सांघिक रूप से अधगिहीत की गई है ।

वशिष आर्थिक क्षेत्त्र

- अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति घोषित की गई थी। इन नीतिका उद्देश्य SEZ को, न्यूनतम संभावित वनियमों के साथ, केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर, एक आकर्षक राजकोषीय पैकेज के जरिये अनुपूरित उत्तम अवस्थापना द्वारा समर्थित आर्थिक विकास हेतु, एक इंजनि बनाना है।
- नविशकों में विश्वास पैदा करने, एक स्थिर SEZ नीति व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करने तथा SEZ व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से, SEZ अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया। SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- (i) अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन;
- (ii) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन;
- (iii) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन;
- (iv) रोजगार अवसरों का सृजन;
- (v) आधारिक सुविधाओं का विकास।

SEZ के संबंध में विवाद समाधान के लिये प्रशासनिक व्यवस्था

- भारत में SEZ नीति के संबंध में विवाद का स्रोत वसिथापन, कृषि भूमि की हानि और वास्तविक संपदा सट्टेबाजी की क्षमता से उत्पन्न होती है।
- बहु-उत्पाद SEZ में प्रसंस्करण कार्यकलाप पर 25% की पाबंदी की भी आलोचना की गई है।
- SEZ नीति की जाँच करने के लिये भारत सरकार को सामान्यतः SEZ के लिये बड़ी मात्रा में भूमि अधिगृहीत नहीं करनी चाहिये।
- आयोग का यह मत है कि सीमित संख्या में बड़े SEZ, संभवतः पछिड़े क्षेत्रों में, कायम करना बेहतर होगा जिससे कठिनसे अवस्थापना का निरमाण हो।
- इसके अलावा, यह वांछनीय होगा कि 'गैर-प्रसंस्करण' कार्यकलापों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के अनुपात को कम से कम किया जाए।
- तथापि, वसिथापित लोगों की अजीविका, विवाद समाधान में प्रमुख मुद्दा होना चाहिये। पुनर्वास पैकेज में प्रभावित परिवार कम से कम एक व्यक्तिके लिये रोजगार सम्मिलित होना चाहिये।
- पुनर्वास पैकेज आय हसिसेदारी नीति पर आधारित होने चाहिये।
- भूमि के बदले भू-खंडों के अलावा, एक अनुकंपा आवासन अनुदान, एक परिवहन अनुदान, एक निर्वहन अनुदान, भूमि की हानि के लिये एक पुनर्वास अनुदान, प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पैकेज का भाग होना चाहिये।
- SEZ कानून में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी वनिरिदिष्ट की जानी चाहिये। वास्तविक विकास कार्यकलाप शुरू करने से पहले, गाँवों के आस-पास पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। औद्योगिक कार्यकलाप और SEZ ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किये जाएँ जहाँ कम से कम वसिथापन और पुनर्स्थापन हो और जिनसे उत्पादक खेती की भूमि पर कब्जा नहीं किया जाए।

भू-अभिलेख के संदर्भ में सफारिशें

क- कृषि क्षेत्रक में कठिनाई को दूर करने के लिये नमिनलखिति उपाय किये जाने चाहिये-

- कृषि के अनुरक्षण और संधारणीयता को प्रोत्साहित करने के लिये अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण, काश्तकारों को शीर्षक सौंपना, और भू-जोतों की चकबंदी को आगे जारी रखने आदि जैसे भू-सुधार उपायों पर फरि से बल दिया जाना चाहिये।
- निरिधनता उपशमन कार्यक्रमों की पुनर्संरचना की जानी चाहिये ताकि उन्हें छोटे और सीमांत कसिानों की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदी बनाया जाए।
- सरकारी निवेश में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीब कसिानों के लिये वैकल्पिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिये गैर-कृषि व कृषि से भिन्न कार्यकलापों का वसितार किया जा सके।
- मौसम बीमा स्कीमों और कीमत समर्थन पद्धतियों जैसे जोखमि कवरेज उपायों का वविधीकरण।
- अधिग्रहण के संबंध में एक नया वधिान अधिनियमित करने की जरूरत है जिसमें संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास नीति में निरिधारित सिद्धांतों को शामिल किया जाए।

SEZ के संबंध में वर्तमान दृष्टिकोण को नमिनलखिति के अनुसार बदलने की जरूरत है-

- SEZ स्थापित करने की प्रमुख कृषि भूमि के उपयोग से बचा जाना चाहिये।
- SEZ की संख्या सीमित होनी चाहिये।
- स्वयं कसिानों द्वारा प्रवर्तित SEZ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- वसिथापित व्यक्तियों की आजीविका का मुद्दा SEZ नीतिका प्रमुख मुद्दा होना चाहिये।
- SEZ वनियमों में पुनर्वास की सामाजिक ज़िम्मेदारी SEZ की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों पर स्पष्ट रूप से सौंपी जानी चाहिये। इसमें पानी, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था करना सम्मिलित होना चाहिये।
- SEZ के प्रवर्तकों द्वारा गैर-प्रसंस्करण कार्यकलापों (Non-Processing Activities) के लिये उपयोग करने के लिये अनुमत भूमि (Permitted Land) के भाग को न्यूनतम रखा जाना चाहिये तथा इसे उनकी योजनाएँ अनुमोदित करने के समय ही सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही पर्यावरणीय वनियमों का कठोरतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- निर्यात इकाइयों और विकासकर्ताओं दोनों के लिये व्यवस्थित अत्यंत उदार कर छूटों पर फरि से वचिार किये जाने की जरूरत है।

अध्याय 5: जल संबद्ध मुद्दे (Water Related Issues)

अंतर-राज्य जल विवाद

- जल अनविरूप रूप से एक राज्य वषिय है और संघ केवल अंतर-जल के मामले में सामने आता है। राज्यों के कषेत्राधिकार से संबधति वषियों से संबधति सातवी अनुसूची का हसिस्सा है।
- संवधान में एक वशिषिट अनुच्छेद-(अनुच्छेद 262) दया गया है- जो अंतर-राज्य नदियों अथवा नदी घाटियों के मामलों से संबधति वविादों के अधनिरिणयन से संबधति है।
- अनुच्छेद 262 और सूची-1 की प्रवषिटि 56 के तहत अधनियिमति दो कानून हैं; नदी बोर्ड अधनियिम, 1956 और अंतर-राज्य जल वविाद अधनियिम, 1956। नदी बोर्ड अधनियिम का अधनियिमन, अंतर-राज्य बेसनों के एकीकृत वकिस के संबध में सलाह देने के लयि, राज्य सरकारों के परामर्श से बोर्ड गठति करने के लयि समर्थ बनाने के उददेश्य से कयिा गया था।
- अंतर-राज्य जल वविाद अधनियिम में व्यवस्था है कि पीडिति राज्य कसी वविाद को संघ सरकार से कसी अधकिरण को सौंपने के लयि कह सकता है। जल वविाद अधकिरण की नयिुक्ता भारत के मुख्य नयायाधीश द्वारा की जाती है और उसमें उच्चतम नयायालय का एक पीठासीन नयायाधीश और दो अन्य नयायाधीश होते हैं जिन्हें उच्चतम नयायालय अथवा उच्च (हाई) नयायालयों में से चुना जाता है।
- वर्ष 1956 में अंतर-राज्य जल वविाद अधनियिम के अधनियिमन के बाद से पाँच अंतर-राज्य वविाद अधकिरणों की स्थापना, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और रावी-ब्यास नदियों के संबध में जल वविादों के अधनिरिणयन के लयि की गई है।

1. कृष्णा और गोदावरी

कृष्णा जल वविाद अधकिरण

2,55,949 वर्ग कमी. के कुल पृष्ठ कषेत्र में से 6821 वर्ग कमी. महाराष्ट्र में, 1,11,959 वर्ग कमी. कर्नाटक में और 75369 वर्ग कमी. आंध्र प्रदेश में है।

कृष्णा जल वविाद अधकिरण का अप्रैल 1969 में गठन कयिा गया।

- गोदावरी के जल के संबध में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक।
- नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात
- कावेरी कर्नाटक तथा तमलिनाडु
- रावी-ब्यास पंजाब, हरयिाणा, राजस्थान, दलिली और हमिाचल प्रदेश।
- संसाधन आयोजना एक जलवजिज्ञानीय इकाई के रूप में की जानी चाहयि। इस संबध में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन वकिस आयोग ने 1999 में प्रस्तुत अपनी रपिाट में एक नकाय के रूप में नदी बेसनि संगठन (आर.बी.ओ.) स्थापति करने की सफिरशि की थी जिसमें संबधति राज्य सरकारों, स्थानीय शासनों और जल उपभोक्ताओं को प्रतनिधितिव प्राप्त होगा तथा परस्पर चर्चा व सहमतकिे लयि एक मंच उपलब्ध होगा।

आयोग नदी बोर्ड अधनियिम के स्थान पर एक ऐसे वधिन की स्थापना की सफिरशि करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंतर-राज्य नदी के लयि बेसनि संगठनों की स्थापना के अलावा लक्ष्यों, ज़मिेदारयिों और आर.बी.ओ. के संबध में प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।

A- लक्ष्य:

1. बेसनि के वकिस के लयि सदिधांतों का प्रतपिादन,
2. बड़ी प्रयोजनाओं के संबध में मार्गनरिदेश जारी करना,
3. तकनीकी मानक नरिधारति करना,
4. सभी लाभदायक उपयोगों हेतु जल की गुणवत्ता बनाए रखना व उसमें सुधार करना,
5. भू-जल के वकिस के लयि एक रूपरेखा नरिधारति करना,
6. भू-अवनयन को नयित्तरति करना,
7. भू-संसाधनों के संधारणीय उपयोग और बेसनि के प्राकृतकिे परविश को संरक्षति रखने के लयि उनका पुनर्वास।

B- ज़मिेदारयिों

1. राज्यों के लयि आवंटन और वभिनिन प्रमुख प्राकृतकिे संसाधन कार्यनीतयिों का प्रशासन,
2. जल गुणवत्ता, भू-संसाधनों, प्रकृतिक संरक्षण और सामुदायकिे सहयोग हेतु तकनीकी ज़मिेदारी,
3. डाटा का संग्रहण

C- जल प्रबंधन ज़मिेदारयिों

1. अंतर-राज्य नदियों के वनियिमन का अनेक प्रयोजनार्थ, घरेलू उपभोक्ताओं और सचिाई हेतु आपूर्तिसहति, जल का प्रवाह और कोटबिनाए रखने के

- लये जल गुणवत्ता के मॉनीटरन का कार्यक्रम ।
2. उपयुक्त भू-उपभोग प्रथाओं, जल उपचार के सर्वोत्तम व्यावहारिक साधनों तथा नदी से बाहर नपिटान को प्रोत्साहन ।
 3. पारि-पद्धत के पररिक्षण और परती भूतयों के प्रबंधन के समन्वयन हेतु कार्यक्रम तैयार करने की ज़रिमेदारी ।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना मार्च 1983 में भारत सरकार द्वारा नमिनलखिति कार्यों के नषिपादन के लये की गई थी:

- (i) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारति करना तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा करना,
- (ii) इसे राष्ट्रीय जल वकिस एजेंसी और नदी बेसनि आयोग द्वारा प्रस्तुत जल वकिस योजनाओं पर वचिर और उनकी समीक्षा करना ।
- (iii) जल योजनाओं को ऐसे संशोधनों के साथ स्वीकृति की सफिररशि करना जनिहें उपयुक्त और आवश्यक समझा जाए ।
- (iv) जल योजनाओं के वशिषिट घटकों के संबंध में अंतर-राज्य मतभेद तथा ऐसे अन्य मुद्दों का समाधान करने के लये क्रयिवधियों के बारे में सलाह देना, जो परयोजनाओं की योजना तैयार और कार्यानवति करने के दौरान उठें ।
- (v) वभिनिन लाभार्थयों द्वारा जल संसाधनों के उचति वभिजन और उपयोग हेतु प्रथाओं और प्रकरयि, प्रशासनकि व्यवस्थाओं के संबंध में सलाह देना ।
- (vi) ऐसी अन्य सफिररशें करना जनिसे वभिनिन क्षेत्रों में जल संसाधनों के शीघर और पर्यावरणीय सुदृढ तथा आर्थकि वकिस को बढ़ावा मलि ।
 - परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं तथा जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंधति केंद्रीय मंत्री/राज्य मंत्री, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/प्रशासक परिषद के सदस्य हैं । सचवि, जल संसाधन मंत्रालय, परिषद के सचवि हैं ।

जल के संबंध में एक राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सतिंबर 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई थी, कति मार्गनरिदेशों के अभाव में इसे अब प्रचालनात्मक रूप लेना शेष है । राज्यों के हतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय जल कानून अधनियिमति कयिा जाना चाहयि । यह ज़रूरी है कि कानून में कम-से-कम नमिनलखिति को शामिल कयिा जाना चाहयि:

- (i) राष्ट्रीय जल कानून, सभी मामलों में, सार्वजनकि हति के नरिधारण, जल के संबंध में सभी पक्षकारों के अधिकारों और दायतियों सहति संवधान के अधयधीन और अनुरूप होना चाहयि ।
- (ii) सभी जल का उपयोग, चाहे वह जल-चक्र में कही से भी पैदा होता हो, नरिधारति नकियों के जरयि वनियिमन के अधयधीन होना चाहयि ।
- (iii) भूमकि दृषटिसे जल संसाधनों का स्थान स्वयं में उपयोग का कोई प्राथमकितापूरण अधिकार प्रदान नहीं करेगा ।
- (iv) जल-चक्र की यूनटि और इसके अंतर-नरिभरता वाले तत्त्वों को स्वीकार कयि जाने की ज़रूरत है ।
- (v) संसाधन आयोजना एक जल वजिजानीय इकाई के रूप में, जैसे ककुल मलिाकर अथवा उप-बेसनि के संबंध में, नाली व्यवस्था के रूप में की जानी चाहयि ।
- (vi) यह सुनश्चिति करते हुए कप्रत्येक को पर्याप्त पेय जल सुलभ हो, अपेक्षति जल संरक्षति कयिा जाना चाहयि ।
- (vii) प्रस्तावति कानून का कार्यानवयन सुनश्चिति करने के लये एक अथवा अधिक वनियिमक नकियों की स्थापना करने के लये प्रावधान कयिा जाना चाहयि ।
- (viii) केंद्रीय, राज्य और बेसनि स्तर एजेंसियों को एकीकृत व मज़बूत करते हुए तथा डाटा की गुणवत्ता व प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करते हुए डाटा बैंकों और डाटाबेसों के एक नेटवर्क के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना पद्धतिकायम की जानी चाहयि ।

सफिररशें

- अंतर-राज्य नदी वविादों के मामले में केंद्रीय सरकार को और अधिक सक्रयि व नश्चयात्मक बनना चाहयि तथा ऐसे वविादों की मांग के अनुसार तत्परता व सतत् रूप से ध्यान के साथ कार्य कयिा जाना चाहयि ।
- कयोंक संवधान के अनुच्छेद 262 में यह व्यवस्था है कि न तो उच्चतम न्यायालय का और न ही कोई अन्य न्यायालय का अंतर-राज्य नदी वविादों के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार होगा । इसलये यह आवश्यक है कि इस प्रावधान की भावना को पूरी तरह से समझा जाना चाहयि ।
- नदी बोर्ड अधनियिम, 1956 के स्थान पर एक वधिान अधनियिमति करके, प्रत्येक अंतर-राज्य नदी के संबंध में नदी बेसनि संगठन (आर.बी.ओ.) कायम कयिा जाना चाहयि जैसा कि राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन वकिस आयोग, 1999 की रिपोर्ट में सुझाया गया है ।

- सभी नदी बेसनि संगठनों के अध्यक्षों को, जब भी उनका गठन किया जाए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और आर.बी.ओ. को और अधिक सकारात्मक भूमिका नभानी चाहिये।
- एक ऐसी रूपरेखा के आधार पर, जिसमें दीर्घावधिक संदर्श को शामिल किया जाए, जल का विकास, संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जल कानून अधिनियमि किये जाना चाहिये।

अध्याय 6: अनुसूचति जातयिों से संबद्ध मुद्दे

- सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट में आयोग ने 'स्थापति व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच भेद किये हैं। स्थापति व्यवस्था सदा ही कानून के नियम-सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो सकती। वांछनीय सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य वाले कानूनों और सार्वजनिक नीतियों के कारण कभी-कभी अलपावधि में संघर्ष हो सकते हैं। ऐसे कानूनों को, यदिसंविधान के मूल मूल्यों और मानवाधिकारों का संरक्षण किये जाना है, सख्ती के साथ लागू किये जाने की जरूरत है।
- अनुसूचति जातयिों के सदस्य देश में नरिधनतम वर्गों में हैं तथा उनके साथ सर्वाधिक भेदभाव किये जाता है। भेदभाव प्रायः समाजार्थिक शोषण: नारार्थिक अधिकारों की मनाही, सामाजिक बहिष्कार और यहाँ तक कि उनके वरिद्ध हसि के रूप में होता है जो कभी-कभी सामूहिक हत्याओं, बलात्कार, बसतयिों जलाने आदिका रूप ले लेता है।

संवैधानिक सुरक्षा

समाज के कमजोर वर्गों के हतियों की सुरक्षा करने के लिये संविधान की स्कीम, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर आधारित अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों की स्थिति में बदलाव करने के लिये एक तीन-आयामी कार्यनीति को परलिकषति करती है। इसमें सम्मलिति हैं-

(i) संरक्षण: समानता लागू करने और अयोग्यताएँ दूर करने के लिये उपाय।

(ii) क्षतिपूरक भेदभाव: सार्वजनिक सेवाओं, प्रातनिधिक नकियों और शकिषा संस्थानों में आरक्षण प्रावधान लागू करना।

(iii) विकास: अनुसूचति जातयिों व अन्य समुदायों की आर्थिक स्थितियों और सामाजिक स्थिति के बीच विशाल अंतर को पाटने के लिये उपाय, संसाधनों के आवंटन और लाभों के वभिजन को शामिल करते हुए।

वधायी संरचना

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 (भाग III, मूलभूत अधिकार) के अंतर्गत 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया गया है। तथा कसि भी रूप में इसके पालन की मनाही है तथा नरिधारित है कि 'अस्पृश्यता' के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यता का लागू किये जाना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है।
- संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू करने के उद्देश्य से, संविधान का अपनाए जाने के पाँच वर्षों के अंदर, संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमि किये गया। बाद में, इसके कार्यक्षेत्र का वसितार करने के लिये अधिनियम को नवंबर 1976 में संशोधित किये गया तथा इसका नाम 'नगरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' कर दिया गया। अधिनियम का वसितार पूरे भारत में कर दिया गया है तथा अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संज्ञेय और साथ ही बगैर समझौते वाला बना दिया गया है।
- इसके अलावा, अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों के वरिद्ध अपराधों को नरित्तरति और भय कायम करने के लिये अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी, 1990 से लागू किये गया।
- अनुसूचति जातयिों और अनु. जनजातयिों (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत व्यापक नियम भी 31 मार्च, 1995 को अधिसूचति किये गए थे जनिमें अन्य बातों के अलावा प्रभावति व्यक्तयिों के लिये राहत और पुनर्वास की व्यवस्था है।
- अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को संबधति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वति किये जाता है।

वधायी संरचना का मूल्यांकन

- पी.सी.आर. अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किये गए मामलों की संख्या में 1970 के दशक के बाद से लगातार कमी आई है। हालाँकि अनेक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई कि अस्पृश्यता की घृणति प्रथा अभी वदियमान है। इसमें कानून प्रवर्तन तंत्र की ओर से हचिकचिाहट और लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं।
- आयोग का मत है कि अनुसूचति जातयिों के शोषण के मामलों से नपिटने के लिये और अधिक सक्रियता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिये। इसमें ज़िला मॉनीटरन पद्धति को महत्त्वपूर्ण भूमिका नभानी होगी। इसलिये, प्रशासन को प्राथमिकी दर्ज किये जाने की प्रतीक्षा किये बगैर स्वयमेव कानून के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिये।

संस्थागत संरचना

राष्ट्रीय अनु. जातयिों आयोग

- 1978 में एक बहु-सदस्यीय आयोग गठित किये गया जसि अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों आयोग का नाम दिया गया। संविधान (65वाँ) संशोधन

अधिनियम, 1990 के अनुसार अनुच्छेद 338 में 1990 में संशोधन किया गया तथा मार्च 1992 में प्रथम अनु. जात और अनु. जनजात आयोग स्थापित किया गया।

- संवधान (89वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के परिणामस्वरूप, जो 19 फरवरी, 2004 से लागू हुआ, राष्ट्रीय अनु. जात और अनु. जनजात आयोग के स्थान पर (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग और (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग, स्थापित किये गए हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन संसद के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के जरिये, प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिये, अगस्त 1994 में किया गया था।
- यह एक स्थायी आयोग नहीं है, कति इसकी कार्यावधि में समय-समय पर वृद्धि की गई है।
- इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य सम्मिलित हैं जिन सभी का मनोनयन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। कम से कम एक सदस्य महिला है।
- केंद्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी नीतित्त मामलों पर राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
- आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसे संसद के दोनों पटलों पर रखा जाता है। यदि रिपोर्ट में कोई मामला किसी राज्य सरकार से संबद्ध होता है तो रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में रखी जाती है।
- इसके अलावा मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित मानवाधिकार आयोग भी अनु. जातियों और अनु. जनजातियों के शोषण की शिकायतों में भी हस्तक्षेप करता है क्योंकि ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय महिला, उसे भेजी गई महिलाओं के प्रति अन्याय की शिकायतों पर कार्रवाई करता है, चाहे जात कोई भी हो।

संस्थागत प्रणाली के कार्यकरण का मूल्यांकन

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऊपर वर्णित नगिरानी संस्थानों की कारगरता का विश्लेषण किया है और वह इस नषिकर्ष पर पहुँचा है किये संस्थान बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली शिकायतों, उनसे निपटने के लिये उनकी सीमति क्षमता और पर्याप्त क्षेत्र स्टाफ के अभाव के कारण भी बाधित हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सलाह

- (i) अस्पृश्यता और अत्याचारों का मुकाबला करने के वषिय पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी व अन्य स्थानीय भाषाओं में इशतहारों/पुस्तिकाओं का मुद्रण और वितरण।
- (ii) आम जनता के लिये विशाल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
- (iii) कांस्टेबुलरी और पुलिस स्टेशन स्तर के पुलिस अधिकारियों का प्रवेश स्तर पर और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण।
- (iv) अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये इसके स्वरूपों और कारणों का विनिर्धारण करने के लिये आवश्यक उपायों हेतु अनुसंधान अध्ययनों का वित्त पोषण करना।
- (v) अत्याचार-प्रधान क्षेत्रों का विनिर्धारण।
- (vi) भू-सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन।
- (vii) विनिर्धारण अत्याचार-प्रधान/संवेदनशील क्षेत्रों के विकास के लिये एक विशेष पैकेज तैयार करना।
- (viii) एक वर्ष से अधिक अवधित्त न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करना।
- (ix) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम का कठोरतापूर्वक प्रवर्तन किया जाना चाहिये।
- (x) सामाजिक सुरक्षा के कवरेज का वसितार।

अपेक्षित प्रशासनिक कार्रवाई

अत्याचारों और भेदभाव प्रथाओं की विशालता को देखते हुए आयोग का मत है किये बहु-आयामी कार्यानीतितैयार की जानी चाहिये जिसमें निम्नलिखित को शामिल किये जाने की ज़रूरत है:

- इन प्रयोजनार्थ अधिनियमति विभिन्न कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन।
- क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं को अभिप्रेरित करना।
- ज़िला स्तर की नगिरानी समितियों द्वारा नगिरानी और समीक्षा।

- पुलिसि सुधार ।
- सामाजिक भेदभाव के मामलों का पता लगाने के लिये क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित करने के लिये स्वतंत्र एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त करना ।
- विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर आयोगों के लिये समन्वय तंत्र अनुसूचित जातियों के शोषण के मामलों की जाँच करने के लिये ।
- पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना ।
- भू-सुधारों व अन्य सामाजिक विधानों का प्रभावी कार्यान्वयन बहुत से विधान हैं- बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम निषिद्ध अधिनियम, भू-सुधार कानून, ऋण राहत अधिनियम आदि, जनिका उद्देश्य भिन्न-भिन्न सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करना है ।
- वनियामक और विकास कार्यक्रमों का अभिसरण ।
- सविलि सोसाइटी संगठनों (सी.एस.ओ.) को शामिल करना ।
- अपराधिक मामलों की शीघ्र वचरण ।

सफ़ारिशें

- संवैधानिक कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों को सच्ची भावना के साथ कार्यान्वित किया जाए ।
- अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित भेदभाव के मामले का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना ।
- सामाजिक और सांप्रदायिक सामंजस्य प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक प्राधिकारियों को सकारात्मक ड्यूटी सौंपना ।
- सामाजिक भेदभाव के मामलों का पता लगाने के लिये स्वतंत्र एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त करने की ज़रूरत है ।
- उन क्षेत्रों में जहाँ जागरूकता स्तर पर नमिन है, एक सु-लक्षित जागरूकता अभियान आयोजित करना आवश्यक है ।
- प्रशासन तथा पुलिस को अनु. जातियों और अनु. जनजातियों की विशेष समस्याओं के संबंध में संवेदी बनाया जाना चाहिये ।
- कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन को और गड़बड़ी होने अथवा बदले के भय के कारण कम महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये ।
- प्रशासन को पीड़ितों के पुनर्वास पर बल देना चाहिये तथा उन्हें परामर्श देने सहित सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की जानी चाहिये ।
- जहाँ तक संभव हो, पर्याप्त संख्या में अनु. जात और अनु. जनजात आबादी वाले पुलिस स्टेशनों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती ऐसे समुदायों की आबादी के अनुपात में की जानी चाहिये ।
- प्रोत्साहनों की एक पद्धति प्रारंभ करना वांछनीय होगा जिसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा अनु. जातियों के वरिद्ध भेदभाव/अत्याचारों का पता लगाने और उनके सफलतापूर्वक अभियोजन के लिये उन्हें उपयुक्त रूप से सम्मानित किया जाना चाहिये ।
- स्थानीय शासनों को नगरपालिकाओं और पंचायतों को विभिन्न सामाजिक विधानों के प्रभावी प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियतापूर्वक सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

अध्याय 7: अनु. जनजातियों से संबद्ध मुद्दे

परिचय

जनजातियों की स्थिति सामाजिक संरचना के इर्द-गिर्द घूमती है । जनजातीय लोगों की सामाजिक असमानताओं के शोषण के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि बंधुआ मज़दूर, बलित श्रम और ऋणग्रस्तता, व्यापारियों, साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा भी उनका शोषण किया जाता है । अनु. जनजातियों के मानव विकास सूचक (HDI), सभी प्रतमानों, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आदि की दृष्टि से, शेष आबादी की तुलना में कम हैं ।

A. सामाजिक न्याय

- अनु. जातियों के सदस्यों की तरह जनजातियों का भी उत्पीड़न किया जाता है । न्यायालयों द्वारा अनु. जनजातियों के सदस्यों के वरिद्ध किये गए अपराधों के मामलों के निपटान के संबंध में स्थिति अनु. जातियों के मामले से भिन्न नहीं है ।
- कानूनों के कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण की दृष्टि से आयोग द्वारा अनु. जातियों के मामले में की गई सफ़ारिशें अनु. जनजातियों के संबंध में भी सही हैं ।

B. पंचायत (अनु. क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम, 1996

- पंचायत (अनु क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम, 1996 (पेसा) एक महत्त्वपूर्ण विधान है जिससे न केवल सक्रिय भागीदारी के रूप में बल्कि एक प्रभावी नरिणय निर्माण, कार्यान्वयनकर्त्ताओं, नगरानियों और मूल्यांकनकर्त्ताओं के रूप में भी उनकी सशक्तीकरण प्रक्रिया में जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित होती है ।
- ग्राम सभा, लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाज की प्रथागत विधि को सुरक्षित और पररिष्कृत करने के लिये सशक्त है । 'पेसा' में यथा परकिलपति ग्राम सभा में विवाद निपटान के वास्ते अंतर नरिमति क्षमता मौजूद है ।
- 'पेसा' और इस विषय पर राज्यों द्वारा अधिनियमित विधानों के एक तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया में 'पेसा' के प्रावधानों को काफी शक्ति बना दिया गया है तथा ग्राम सभा की अधिकांश शक्तियाँ ज़िला प्रशासन अथवा ज़िला परिषद को प्रदान कर दी गई हैं ।

C. जनजातियों का वसिस्थापन

- बड़ी संख्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जैसे कि सिंचाई बाँध, पन वदियुत और ताप वदियुत संयंत्रों, कोयला खानों और खनजि आधारित उद्योगों के

कारण जनजातियों का वसिस्थापन हुआ है।

- सत्रह प्रतमानों के राहत पैकेज के साथ, जनिहें वसिस्थापन की अनुमति देने से पहले पूरा कथिा जाना चाहयि, परयिोजना प्रभावति परविरों (पी.ए.एफ.) के लयि राहत और पुनरवास के संबंघ में एक राषटरीय नीति फरवरी 2004 में अधसिचति की गई थी। भारत सरकार ने अकतूबर 2007 में एक नई राषटरीय पुनरवास और पुनःस्थापन नीति अनुमोदति की कति पी.ए.एफ. के संबंघ में ईमानदारीपूरवक काररवाई अभी की जानी शेष है।
- 'पेसा' के अंतरगत भूमि के अनयसंकरामण के रोकने के लयि वशिषिट रूप से प्रावधान कथिा गया है। इसके अंतरगत उस कषेतर के राज्य वधिानमंडलों दवारा ऐसा कानून बनाने की मनाही की गई है जो जनजातीय भूमि के अनयसंकरामण को रोकने के उददेश्य के अनुरूप हो। वडिंबना है कि 'पेसा' का उपयुग जनजातियों की कीमत पर औदयुगिक वकिस को प्रोत्साहति करने के लयि अवविकपूरण और गलत ढंग से कथिा जाता है।
- राज्य सरकारों को भू-सीमा के संबंघ में वदियमान कानूनों का प्रवर्तन करना चाहयि। वदियमान भू-अभलिखों की पूरणरूपेण परविरतन और वयवस्थति ढंग से योजना बनाने तथा ऐसी जानकारी मुक्त रूप से सुलभ कराए जाने का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

D. प्रशासन में कषमता नरिमाण

- जनजातीय लोगों से संबंघति वविादों के साथ डील करने की मुख्य समस्य़ा यह है कि उनहें संरकषण प्रदान करने के लयि कथिा गए वदियमान संवैधानिकि प्रावधानों और कानूनों का इषटतम रूप से उपयुग नहीं कथिा जाता है।
- पर्याप्त संख्या में जनजातीय लोगों को उग्रवादयिों ने धीरे-धीरे मुख्यधारा से अलग कर दयिा है।
- यह आवशयक है कि प्रशासन अपने मूल कार्य नषिपादति करने में सावधानी बरते तथा जनजातीय कषेतरों में आधारभूत सेवाओं की वयवस्था करे।
- यह भी आवशयक है कि सरकार ऐसे कषेतरों में कार्य करने के लयि केवल ऐसे पुलसि, राजसव, वन और वकिस अधिकारयिों की तैनाती करे जो अपेक्षति प्रशकषण प्राप्त हों तथा अपने कार्य के प्रता प्रतबिद्ध हों और जनिकी जनजातीय लोगों के साथ सहानुभूति हो।
- अधिकारयिों को भी ऐसे कषेतरों में कार्य करने के लयि अभपिरेरति कथिा जाने की जरूरत है। ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि जनजातीय कषेतरों में वशिषिट पदों के लयि अधिकारयिों के लयि कठनिाई वेतन, आवास और शकषिा आदि प्रदान करने में प्राथमकिता प्रदान करके उनका चयन कथिा जाना चाहयि।
- कसिी प्रकार की कानूनी वयवस्था अथवा योजना प्रकरयिा को तेज करने से न तो जनजातीय लोगों के अधिकारों के संरकषण में और न ही अनुसूचति कषेतरों के वकिस से बेहतर अनुपालन सुनिश्चति होगा जब तक कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को 'पेसा' के उददेश्यों की दशिा में प्रशकषति अथवा चुस्त न बनाया जाए।

E. जनजातीय नीति

- जनजातीय वकिस के संबंघ में दशिा-नरिदेश और अनविरयताएँ नरिधारति करते हुए कोई स्पष्ट राषटरीय जनजातीय नीति नहीं है। पछिला कार्यक्रम सवयं प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू दवारा प्रतपादति जनजाति वकिस के लयि पंचशील कार्यक्रम था। अब समय है कि जनजाति वशिषिट व्यापक वकिस हेतु एक राषटरीय काररवाई योजना तैयार की जाए जो एक मार्गदर्शी कलयाण उपाय के रूप में कार्य करे।

F. अनु. जनजातयिों की सूची में समावेशन से संबंघ वविाद

- अनु. जनजातयिों की सूची में शामिल कथिा जाने के लयि मांग प्रस्तुत करते समय अनेक, कभी-कभी हसिक, आंदोलन हुए हैं। राजस्थान में गुजजरां दवारा तथा असम में कुछ समूहों दवारा ऐसे वविादों के कुछ नवीनतम उदाहरण हैं।

संवधिान के अनुच्छेद 342 में वनिरिधारति है:

(1) राषट्रपति, राज्यपाल के साथ परामरश करने के बाद, एक सारवजनिकि नोटसि दवारा जनजातयिों अथवा जनजातयिों के अंदर कसिी भाग अथवा समूह को अथवा जनजातीय समुदायों को अधसिचति कर सकते हैं।

(2) संसद, कानून के जरयि, खंड (1) के अंतरगत जारी कसिी अधसिचन में वनिरिदषिट अनु. जनजात को कसिी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय के अंदर शामिल अथवा अलग कर सकती है।

जून 1999 में, सरकार ने अनु. जनजातयिों की सूचयिों में सम्मलित कथिा जाने अथवा उसमें से अलग करने के संबंघ में प्रकरयिाएँ अनुमोदति की थीं।

इस प्रकार, ऐसे सभी प्राधिकारयिों को इकटठा करने की एक पद्धति होनी चाहयि, जसिके अंतरगत प्रमुख रूप से जनजातीय आबादी वाले राज्यों के परामरश से, स्पष्ट रूप से परभाषति प्राचलों (Parameters) के साथ, एक व्यापक क्रयिवधितय करने का प्रयास कथिा जाना चाहयि।

G. सफिरशिं

यदयपि पाँचवीं अनुसूची में सभी राज्यों ने 'पेसा' की दृषटि से अनुपालन वधिान अधनियिमति कथिा है, तथापि ग्राम सभा से नकियों को अन्य नकियों को उनकी शकतयिों प्रदान करके, उसके प्रावधानों को शथिल कर दयिा गया है।

- संवधिान की पाँचवीं अनुसूची के अंतरगत राज्यपालों की वार्षकिक रिपिरटों को समय पर प्रस्तुत करना।
- जागरूकता अभयान आयोजति कथिा जाने चाहयि, जसिसे कि जनजातीय लोगों को 'पेसा' के प्रावधानों और संवधिान के 73वें संशोधन से अवगत कराया जा सके।

- वदियमान भू-अभल्लिखों में आमूल रूप से परविरतन अथवा वयवस्थति ढंग से उनका पुनरुगठन कयिा जाना चाहयि ।
- जनजातीय कषेत्रों में कार्यान्वति की जा रही सरकारी नीतयिों और वभिन्न वधिानों को 'पेसा' (PESA) के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूरण बनाए जाने की ज़रूरत है ।
- अनु. जनजातीय कषेत्रों के लयि लागू होने वाले कानूनों का नरिमाण संवधिान की पाँचवीं और छठी अनुसूचयिों के सदिधांतों के अनुरूप कयिा जाना चाहयि ।
- सरकार को ऐसे पुलसि, राजस्व और वन अधिकारयिों का चयन करना चाहयि जो प्रशकिषति हों और जो जनि लोगों की सेवा करनी है उन्हें समझें तथा उनके प्रतसि सहानुभूत बिरतें ।
- जनजातयिों के कल्याण के लयि एक मार्गदशी चतिर के रूप में कार्य करने के लयि व्यापक वकिस हेतु एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार और कार्यान्वति की जानी चाहयि ।
- अनु. जनजातयिों की सूची में जनजातयिों को शमलि करने और उनके नषिकासन के नरिधारण में लगे प्राधिकारयिों को, बड़ी अनु. जातके लोगों की आबादी वाले राज्यों के साथ एक व्यापक प्रकरयिा के आधार पर, परामर्श करने की पद्धति अपनानी चाहयि ।

असम में जनजात विशिष्ट परषिदें

स्थानीय शासन के अन्य मुद्दों के लयि सफिरशिं

- असम सरकार, जनजात विशिष्ट परषिदें-ग्राम परषिदें और पंचायती राज संस्थानों के बीच कार्यों का इस प्रकार से वभिजन कर सकती है कि अलग-अलग जनजातीय लाभार्थयिों वाली स्कीमों को जनजात विशिष्ट परषिदें को सौंपा जा सकता है तथा कषेत्र वकिस स्कीमें पंचायती राज संस्थानों को सौंपी जा सकती है ।
- राज्य सरकारें एक ऐसी पद्धति शुरू कर सकती हैं, जसिसे कम से कम परषिदें की स्थापना लागतें जनजातीय उप-योजना से इतर स्रोतों से पूरी की जा सकें तथा इन आवश्यकताओं को अगले वतित्त आयोग के पूर्वानुमानों में शमलि कयिा जा सके ।
- राज्य सरकारें उन नूतन उपायों का पता लगाने के लयि उपाय करें, जनिहें कषेत्र वकिस हतियों को प्रभावति कयि बगैर जनजात विशिष्ट परषिदें को सौंपा जा सके ।
- जनजात विशिष्ट परषिदें और पंचायती राज संस्थानों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से संगत कषेत्रों में ज़िला तथा उप-ज़िला योजनाएँ तैयार करने के लयि उपयुक्त मार्गनरिदेश तैयार कयि जा सकते हैं ।
- यद्यपि परवतीय ज़िला परषिदें के पुररुद्धार के बारे में मणपुरि में समाज के वभिन्न वर्गों के बीच सर्वसम्मति कायम करने के लयि सतत रूप से व कठोर प्रयास करने की ज़रूरत है, तथापि उस राज्य के परवतीय कषेत्रों में नरिवाचति ग्राम स्तर नकिया कायम करने के लयि उपयुक्त वधिान तैयार करने के लयि तत्काल उपाय कयि जाने चाहयि ।

कषेत्रीय संस्थानों में कषमता नरिमाण पर सफिरशिं

- मूल 'वविाद नपिटान प्रावधान' को बहाल करने के लयि NEC अधनियिम, 1971 में उपयुक्त रूप से संशोधन कयिा जाए, जसिसे कि परषिद के लयि "कषेत्र में दो अथवा अधिक राज्यों के परस्पर हति के मुद्दों पर चर्चा करना और उनके संबध में केंद्रीय सरकार को सलाह देना" आवश्यक हो ।
- परषिद को कषेत्र में सुरक्षा के अनुरक्षण के लयि सदस्य राज्यों द्वारा कयि गए उपायों की समीक्षा करने की अपनी ज़मिमेदारी का प्रभावी ढंग से नपिटान करने में मदद देने के लयि समर्थ बनाने के वास्ते गृह मंत्रालय को परषिद सचविालय को नयिमति रूप से अपने 'सुरक्षा समन्वय दायरे' के अंदर रखना चाहयि ।
- योजना आयोग को प्राथमकिताओं के साथ, न कि NEC द्वारा स्कीमों के आवंटन के साथ, एकीकृत कषेत्रीय योजनाएँ तैयार करने के लयि एक रूपरेखा नरिधारति करनी चाहयि । कषेत्रीय योजना के अंतर्गत, अंतर-कषेत्रीय, अंतर-राज्य प्राथमकिताओं वाले कषेत्रों पर बल देते हुए, जनिमें वविादों से बचने और कषेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहति करने की कषमता हो, ऐसे कषेत्रों पर बल दयिा जाना चाहयि ।
- योजना आयोग को अपने मार्गनरिदेशों में उपयुक्त रूप से संशोधन करके, राज्य योजना नरिमाण प्रकरयिा में NEC की भागीदारी सुनशिचति करनी चाहयि ।
- अ-व्यपगत योग्य संसाधनों के केंद्रीय पूल (Non Lapsable Central Pool of Resources-NLCPR) से नधियिों मंजूर करने की ज़मिमेदारी पूरवोत्तर परषिद (North Eastern Council-NEC) को सौंपी जानी चाहयि । NEC 'पूल' से वतित्त पोषण के लयि प्रस्तावों की जाँच-पड़ताल करने के लयि और उनके वतित्त-पोषण के संबध में संबधति मंत्रालयों के साथ समन्वय से, पद्धतयिों तैयार करनी चाहयि ।
- यह वांछनीय है कि मानव संसाधनों और अवस्थापना के वकिस जैसे कषेत्रों को शमलि करते हुए पूरे कषेत्र के लयि एक दस वर्षीय भावी योजना तैयार की जाए ।
- इस व्यापक योजना पर जल्द अनुवर्ती कार्रवाई करने के वास्ते, प्रधानमंत्री द्वारा नयिमति रूप से मुख्यमंत्रयिों के साथ समीक्षा की जानी चाहयि ।
- पूरवोत्तर कषेत्र वकिस मंत्रालय (Development of North Eastern Region-DONER) को समाप्त कर दयिा जाना चाहयि तथा कषेत्र के वकिस की ज़मिमेदारी, अवस्थापना कषेत्रकों और अ-व्यपगत योग्य नधियिों के उपयोग सहति, वषिय संबध मंत्रालय को बहाल कयिा जाना चाहयि तथा गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करना चाहयि ।

अध्याय-8 अन्य पछिडे वर्गों से संबध मुद्दे

प्रस्तावना

- अन्य पछिडे वर्गों (Other Backward Class-OBC) के लोगों के बीच (अल्पसंख्यकों सहति) बड़ी नाराजगी है कि उन्हें अनु. जातयिों और अनु. जनजातयिों के मामले में प्रदान कयि गए व्यापक सुधारात्मक पैकेजों के लाभ नहीं दयि गए हैं । इस वजह से प्रायः संघर्ष हुए जो हसिा में परणित हो गए ।

- संवधान के अनुच्छेद 15(4), 16 (4) और 340 (1) में 'पछिड़ा वर्ग' को संदर्भित किया गया है।
- अनुच्छेद 340 (1) के तहत गठित पहले पछिड़े आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। केंद्रीय सरकार ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।
- द्वितीय अखिल भारत पछिड़ा वर्ग आयोग-मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1991 में अंशतः कार्यान्वित किया गया।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जाति-वार सूचना एकत्र करने की प्रथा को (अनु. जातियों और अनु. जनजातियों को छोड़कर) 1931 की जनगणना से बंद कर दिया। मंडल आयोग ने भी, जसिने 'अ.पि. वर्ग' आबादी का अनुमान देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत लगाया था, 1931 की जनगणना डाटा का इस्तेमाल किया था।
- देश में अन्य पछिड़े वर्गों के संबंध में कोई समाजार्थक सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार तुरंत 'अन्य पछिड़े वर्गों' का एक समाजार्थक सर्वेक्षण आयोजित करे।
- NSSO डाटा के एक विश्लेषण में विभिन्न सर्वेक्षण और रिपोर्टें सम्मिलित हैं तथा अ.पि. वर्गों की समाजार्थक स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: नरिधनता, स्वास्थ्य संकेतक, बेरोजगारी, परसिंपत्ता/मलिकयित, तथा ऋणग्रसतता।

सामाजिक सशक्तीकरण

- स्पष्टतः अ.पि. वर्गों की समाजार्थक स्थितियाँ ऐसी हैं कि इसके लिये उन्हें अन्यों के समान लाने तथा उन्हें मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिये उपाय करने की ज़रूरत है।

आर्थिक सशक्तीकरण

- NSSO सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अ.पि. वर्गों के बीच नरिधनता का भार, एक ओर अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के बीच और दूसरी ओर 'अन्यों' के बीच मध्यवर्ती है। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार मुक्त बेरोजगारी 'अन्यों' की तुलना में सतत् रूप से अन्य पछिड़े वर्गों के बीच अधिक है। जहाँ तक परसिंपत्ता/मलिकयित (भूमि सहित) का संबंध है, मलिकयित, ग्रामीण और शहरी दोनों कक्षेत्रों में 'अन्यों' की तुलना में लगभग दो-तर्हिई है। ऋणग्रसतता का भार और परिणामतः परसिंपत्तकी तुलना में ऋण का अनुपात सभी सामाजिक समूहों में अ.पि. वर्गों के बीच सबसे अधिक है।
- स्पष्टतः, यदि अ.पि. वर्गों को 'अन्यों' के समान लाया जाए तथा मुख्य धारा का एक भाग बनाया जाए तो उन्हें रोजगार व आय सृजन कार्यक्रमों तथा नरिधनता उपशमन के जरिये आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा।

सफिरशें

- सरकार, एक सर्वेक्षण की क्रियाविधितय कर सकती है और अन्य पछिड़े वर्गों का राज्य-वार समाजार्थक सर्वेक्षण आयोजित कर सकती है जो उनकी स्थिति सुधारने के लिये नीतियों और कार्यक्रमों का एक आधार बन सकता है।
- सरकार द्वारा अ.पि. वर्गों की कषमता नरिमाण के लिये एक व्यापक स्कीम तैयार कर उसे कार्यान्वित करने की ज़रूरत है जसिसे वे शेष समाज के बराबर आ सकेंगे।

अध्याय-9 धार्मिक संघर्ष

प्रस्तावना

- आजादी के बाद, देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिसाएँ हुई हैं। यद्यपि अनेक सांप्रदायिक दंगों से प्रभावी ढंग से नपिटा गया है, तथापि प्रशासन द्वारा तुरंत और प्रभावी ढंग से सांप्रदायिक स्थितियों से नपिटने में अनेक गंभीर असफलताएँ भी सामने आई हैं।
- आयोग ने विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों की जाँच की और नमिनलखित समस्याओं और कमियों का उल्लेख किया:

व्यवस्था संबंधी समस्याएँ

- विवाद नपिटान तंत्र अपर्याप्त हैं;
- एकत्र की गई आसूचना पूरणतः सही, सामयिक और कार्रवाई-योग्य नहीं होती; और
- घटिया कार्रमिक नीतियाँ- अधिकारियों का असंतोषजनक चयन और अल्प कार्रवाधि- जसिकी वजह से स्थानीय स्थितियों की अपर्याप्त समझ होती है।

प्रशासनिक कमियाँ

- प्रशासन और पुलिस उन संकेतकों का अंदाजा नहीं लगा पाते और उन्हें समझ नहीं पाते जनिकी वजह से पहले हिसा हुई थी;
- प्रथम संकेत मलिन के बाद भी, प्रशासन और पुलिस धीमी प्रतिक्रिया करते हैं;
- कषेत्रीय कार्यकर्त्ता अपने वरषिठ अधिकारियों से अनुदेश प्राप्त करते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं तथा वरषिठ अधिकारी स्थानीय पहल और प्राधिकारी की अवहेलना करते हुए मामले में दखल देते हैं;
- कभी-कभी प्रशासन और पुलिस पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्रवाई करती है।
- कभी-कभी नेतृत्व असफल रहता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिम्मेदार व्यक्त्तघटना की गंभीरता की अनदेखी कर देते हैं।

दंगा पश्चात् प्रबंधन कमियाँ

- प्रायः पुनर्वास की उपेक्षा की जाती है, जिसकी वजह से गुस्सा और आक्रोश पैदा होता है;
- अधिकारियों को उनकी असफलताओं के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता, इस प्रकार सुस्ती और अक्षमता बढ़ती है।
- जहाँ तक संघर्षों के समाधान के लिये क्षमता निर्माण का संबंध है, संघर्षपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिये आंतरिक पद्धतियाँ विकसित करने में नागरिकों की और भागीदारी की ज़रूरत है। इन नागरिक-केंद्रिक पहलों में नमिनलखिति सम्मेलित होंगी:
 - पुलिस के साथ सहयोग और समन्वयन (सामुदायिक पुलिस व्यवस्था)
 - प्रशासन के साथ सहयोग और समन्वय (नागरिक समितियाँ)

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

- समुदाय की ज़रूरतों में अतिप्रतिक्रियाशील ढंग से पुलिस की भागीदारी तथा बदले में समुदाय द्वारा पुलिस व्यवस्था में भाग लेना तथा पुलिस की सहायता करना, सांप्रदायिक विवादों से निपटने के लिये एक आदर्श स्थिति है।
- सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संविधान में सम्मिलित है।

इसके सामान्य सिद्धांत नमिनलखिति हैं:

- समुदाय तथा पुलिस के बीच भागीदारी कायम करना और उसे बनाए रखना।
- पुलिस और समुदाय के बीच संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- समुदाय में पुलिस सेवाएँ प्रदान करने में सुधार।
- सेवा में पारदर्शिता तथा समुदाय के प्रति सेवा की जवाबदेही में सुधार करना।
- पुलिस और समुदाय द्वारा संयुक्त समस्या वनिर्धारण और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना।

परिभाषा

- “सामुदायिक पुलिस पद्धति, अपराध की रोकथाम और पता लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय विवादों का निपटान करने के लिये समुदाय के साथ कार्य करने की एक कक्षेत्र वशिष्ट सक्रिय प्रक्रिया है जिससे कि बेहतर जीवन और सुरक्षा की भावना प्रदान की जा सके”।
- भारत में अनेक राज्यों ने किसी न किसी रूप में सामुदायिक पद्धति प्रारंभ की है। चाहे यह आंध्र प्रदेश में ‘मैत्री’ हो, तमिलनाडु में ‘फ्रेंड्स आफ पुलिस’ हो, भवैडी (महाराष्ट्र) में ‘मोहल्ला समितियाँ’ हों, पूरे देश से इनकी अनेक सफल कहानियाँ सामने आई हैं।

सामुदायिक पुलिस पद्धति में आयोग के सुझाव

- सामुदायिक पुलिस पद्धति एक दर्शन है और न कि कुछेक पहलों की एक पद्धति मात्र।
- सामुदायिक पुलिस पद्धति की सफलता नागरिकों में एक ऐसी भावना पैदा करने में निहित है कि उनके इलाके में पुलिस पद्धति में इनका योगदान है और वे समुदाय की रक्षा की पहली पंक्ति भी बनाते हैं।
- सामुदायिक पुलिस पद्धति का विचार सफल हो सकता है यदि वे पुलिस-प्रेरित न होकर जन-प्रेरित हों।
- अन्य विभागों और संगठनों के कार्यकलापों के साथ अभिसरण का प्रयास किया जाना चाहिये।

ज़िला प्रशासन तथा नागरिक शांति समितियाँ

- सांप्रदायिक तनाव के समय ज़िलों में कार्यरत प्रशासकों ने शांति समितियाँ गठित कीं, जिनमें राजनीतिज्ञ तथा विभिन्न समुदायों के प्रभावशाली सदस्य सम्मिलित थे जिन्होंने शांति समितियों के विचार-विमर्श में और शांति मोर्चों में सार्थक रूप से भाग लिया।
- इन समितियों को समूहों और समुदायों के बीच विवाद निपटान के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में संस्थागत बनाया जाना चाहिये। आयोग का विचार है कि सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के संभावित मुद्दों का समाधान करने के लिये ज़िला शांति समितियों को प्रभावी साधन बनाया जाना चाहिये। इन समितियों का पुलिस अधीक्षक के परामर्श से ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा गठन किया जाना चाहिये।
- ऊपर सुझाई गई ज़िला शांति समितियों की तरह ही ‘मोहल्ला समितियाँ’ गठित करने की भी ज़रूरत है।

सांप्रदायिक हिसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) अधिनियम, 2005

(Communal Violation [Prevention, Control and Rehabilitation of Victims] Bill, 2005)

- सांप्रदायिक हिसा को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिये, ऐसी हिसा से पीड़ितों के पुनर्वास सहित शीघ्र जाँच-पड़ताल और विचारण अनिवार्य बनाने और वृद्धिकारी दंड आरोपित करने के लिये एक वृहद दृष्टिकोण की व्यवस्था करने हेतु, केंद्रीय और राज्य सरकारों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 2005 में संसद में एक अधिनियम प्रस्तुत किया था।
- संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि सांप्रदायिक हिसा से निपटने के लिये संभवतः किसी अलग विधान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सांप्रदायिक हिसा के

सभी पहलुओं से नपिटने के लिये पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) में अनेक प्रावधान हैं जो धार्मिक, जातीय, भाषायी अथवा क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदाय से संबंधित अपराधों को व्यापक रूप से डील करते हैं।

- धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, रहिाइश, भाषा आदि के आधार पर वभिन्न समूहों के बीच शतरुता को प्रोत्साहति करना तथा ऐसे कार्य करना जो सामंजस्य बनाए रखने के लिये प्रतकूल हों।
- इसके अलावा IPC की धारा 505 की उप-धारा 1 (ग), (2) और (3) भी, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर श्रेणियों के बीच शतरुता, घृणा अथवा दुर्भावना को प्रोत्साहति करने से संबद्ध अपराधों के साथ डील करती है।

संक्षेप में इनमें सम्मलिति हैं:

1. धारा 295 किसी श्रेणी के धर्म को बेइज्जत करने के उद्देश्य से धर्म स्थल को नुकसान पहुँचाना अथवा अपवतिर करना।

2. धारा 295। - किसी श्रेणी के धार्मिक विश्वास अथवा धर्म को बेइज्जत करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य।

3. धारा 296 - धार्मिक सभा में गड़बड़ी करना।

4. धारा 297 - कब्रगाह स्थलों आदि पर अतकिरमण।

5. धारा 298 - किसी व्यक्तकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से शब्द उच्चारति करना आदि।

- इन सफारशियों को ध्यान में रखते हुए आयोग का मत है कि सांप्रदायिक हिसा से नपिटने के लिये किसी पृथक वधिान की ज़रूरत नहीं है तथा इससे बुनयिदी कानूनों के सारवान प्रावधानों का प्रयोग प्रतबिधति भी हो सकता है। जहाँ आवश्यक हो, मूल कानूनों को मजबूत बनाना बेहतर होगा।
- हालाँकि सांप्रदायिक हिसा (रोकथाम, नयित्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) वधियक 2005 में कुछ नूतन प्रावधान हैं जिनसे सांप्रदायिक हिसा से नपिटने में एक सामाजिक संदर्भ में ऐसी हिसा से जुड़ी कुरीतियों को नकारने में सरकार के हाथ और मजबूत होंगे, यदि उन्हें वदियमान कानूनों में शामिल कर लिया जाए।

प्रावधान नमिन् प्रकार हैं:

- **खंड 19(2)** : भारतीय दंड संहिता अथवा अनुसूची में वनिरिदषिट किसी अन्य अधनियम में दी गई किसी बात के बावजूद, जो कोई व्यक्तकी कोई कार्य करता है अथवा नहीं करता है, जो सांप्रदायिक हिसा है, मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के साथ दंडनीय किसी अपराध के मामले को छोड़कर, ऐसी सजा के साथ दंडनीय होगा जो भा.द.सं. में अथवा अनुसूची में वनिरिदषिट किसी अन्य अधनियम में सजा की सबसे लंबी अवधि से दुगनी और उस अपराध के लिये सर्वाधिक जुमाने से दुगनी हो सकती है। बशर्ते कि यदि कोई व्यक्तकी सरकारी सेवक अथवा इस अधनियम के कनिही प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए आदेशों के अंतर्गत सकषम प्राधिकारी द्वारा कार्य करने के लिये प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्तकी सांप्रदायिक हिसा करता है, ऊपर वर्णति प्रावधानों को प्रतकूल रूप से प्रभावति किये बगैर, सजा के साथ दंडनीय होगा, जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी।
- **खंड 19(3)** : कोई भी व्यक्तकी जो उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध का कसूरवार हो, सरकार के अधीन कोई पद अथवा सेवा धारति करने के लिये, ऐसी सजा की तारीख से छः वर्ष की अवधि के लिये, अपात्र होगा।
- **खंड 24(1)**: राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ एक अधिसूचना जारी करके अव्यवस्था की अवधि के दौरान किये गए अनुसूचति अपराध के वचारण के लिये एक अथवा अधिक विशेष न्यायालय स्थापति करेगी।
- **खंड 24(2)**: उप-धारा(1) में दी गई किसी बात के बावजूद, यदि किसी राज्य में वदियमान स्थतिके वचारण हेतु, राज्य से बाहर अतरिकित विशेष न्यायालय स्थापति करना उचित होगा, यदि:

(a) उचित अथवा नषिपकष अथवा अत्यंत शीघ्रता से पूरा होने की संभावना नहीं है;

(b) शांति भंग हुए बनिा व्यवहार्य होने की संभावना नहीं है अथवा अभयिकृत, गवाहों, सरकारी अभयिोजक और जज अथवा उनमें से किसी एक की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो;

(c) अन्यथा न्याय के हति में नहीं है, वह केंद्रीय सरकार से, ऐसे सांप्रदायिक अशांत कषेत्त्र की दृष्टि से, राज्य से बाहर एक अतरिकित विशेष न्यायालय स्थापति करने का अनुरोध कर सकती है।

इनहें IPC और CrPC में ही सम्मलिति कयिा जाना चाहयि, विशेष रूप से क्यौंकि सरकारी व्यवस्था के अनुरक्षण से संबधति अनेक समर्थनकारी और पूरक प्रावधान वदियमान हैं जिनसे उपरोक्त प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुकर हो सकता है।

- वधियक की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सामुदायिक गड़बड़ियों द्वारा प्रभावति व्यक्तियों के पुनर्वास और राहत प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक वसितृत संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
- एक तुलना के बाद यह स्पष्ट है कि वधियक के तहत ऐसी पद्धतियों कायम करने का प्रस्ताव है जो सामान्य रूप से एकसमान कार्यकर्त्ताओं और प्राधिकारियों की भागीदारी की परकिलपना करते हुए, DMA के तहत पहले से अनविर्य पद्धतियों के लगभग समान हैं।
- जहाँ एक के अंतर्गत राहत और पुनर्वास सहति, आपदा प्रबंधन से संबद्ध उपायों के साथ डील कयिा गया है, वहीं दूसरी, सांप्रदायिक हिसा के कारण आवश्यक राहत और पुनर्वास से संबधति है।

सफ़ाई

- सामुदायिक पुलिसि व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये।
- ज़िला शांति समितियों/एकता परिषदों को सांप्रदायिक असमंजस पैदा करने की संभावना वाले मुद्दों का समाधान करने के कारगर साधन बनाए जाएँ। पुलिसि आयुक्त वाली प्रणाली में इन समितियों की स्थापना पुलिसि आयुक्त द्वारा पुलिसि आयुक्त के साथ परामर्श करके की जा सकती है। ये समितियाँ स्थायी कसिम की होनी चाहिये। इन समितियों को सांप्रदायिक संघर्षों के रूप में बदलने की क्षमता वाली स्थानीय समस्याओं का पता लगाना चाहिये और शीघ्रताशीघ्र उनसे निपटने के लिये साधन सुझाने चाहिये। इसके अलावा, इसी प्रकार से मोहल्ला समितियाँ भी गठित की जानी चाहिये।
- संघर्ष प्रधान कक्षों में, पुलिसि को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने चाहिये जिनमें लक्ष्य आबादी वाले सदस्यों को, विश्वास निर्माण पद्धति के रूप में पुलिसि के साथ वचन-वमिश्रण करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये।
- सांप्रदायिक हिसा से निपटने के लिये एक पृथक् कानून की ज़रूरत नहीं है, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के वदियमान प्रावधानों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। यह नमिनलखित की व्यवस्था करके प्राप्त किया जा सकता है:

(i) सांप्रदायिक अपराधों के लिये वर्द्धति दंड।

(ii) सांप्रदायिक हिसा से संबद्ध मामलों के शीघ्र वचरण के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना।

(iii) सांप्रदायिक अपराधों के मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को रिमांड की शक्तियाँ प्रदान करना।

(iv) राहत और पुनर्वास के मानदंडों का निर्धारण।

- सांप्रदायिक हिसा के पीड़ितों को पुनर्वास और राहत प्रदान करने के लिये ज़िला प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यवस्थित प्रणाली का कारगर ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिये।

अध्याय-10 राजनीति और विवाद

प्रस्तावना

- भारत जैसे वषिम देश में जहाँ भनिन-भनिन वर्गों के लोगों की शकियतें होती हैं जो असमाधिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी शकियतों के समाधान के लिये प्रजातांत्रिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में, राजनीतिक दलों को बड़ी अहम भूमिका निभानी है। जब राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ऐसी वैध मांगों का समाधान नहीं हो पाता, तब विवाद उत्पन्न होते हैं। आजकल वाम उग्रवाद आंदोलन से प्रभावित कक्षों में यह राजनीतिक प्रक्रिया की असफलता है जिसकी वजह से आंदोलन को लोगों को जुटाने में और उन्हें अपने साथ मलाने में सफलता मिली।
- आजकल विवादों का समाधान करने के लिये प्रजातांत्रिक पद्धति का इस्तेमाल करना कठिन हो गया है। इसका एक कारण बाध्यकर राजनीति है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राजनीतिक समूह की बहु-पहचान है और विवाद कक्षेत्तीय मुद्दों पर हावी हो जाते हैं तथा उन मुद्दों के प्रता कक्षेत्तीय रुचि की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दल कठोर रुख अपनाते हैं जिसकी वजह से विवाद 'ठंडे' पड़ जाते हैं। जल के संबंध में अंतर-राज्य विवाद, केंद्रीय परियोजनाओं की स्थापना आदि इनके उदाहरण हैं जहाँ एक राज्य के राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दलों सहित, दूसरे राज्य के खिलाफ एक आम रुख अपनाते हैं और इस प्रकार कक्षेत्र में एक विवाद का स्रोत बन जाता है।

राजनीति तथा पहचान संबंधी मुद्दे

- पहचान संबंधी मुद्दे भारत में अनूठे नहीं हैं, यह एक विश्वव्यापी लक्षण है। यद्यपि आज के भारत में विशेष तीव्रता के साथ वदियमान हैं जहाँ समुदायों ने भाषा, धर्म, मत, जाति और जनजात के आधार पर अपनी पहचान को सुदृढ़ किया है। ऐसे पहचान संबंधी मुद्दों के आधार पर विवाद प्रायः हिसा का रूप ले लेते हैं। हाल ही का एक उदाहरण जनजातियों के रूप में पहचाने जाने की समाज के कुछ वर्गों द्वारा मांग, एक बढ़ता विवाद है, जैसा कि राजस्थान में गुज्जर समुदाय द्वारा किये गए आंदोलन और मीणा समुदाय द्वारा इसका वरिध किये जाने से स्पष्ट है।
- मामला इस तथ्य से और गंभीर हो जाता है कि पहचान संबंधी मुद्दे प्रमुख रूप से यह तय करते हैं कि राजनीतिक दलों को किस प्रकार आचरण और कार्य करना चाहिये। चाहे चुनाव का समय हो अथवा वधिनमंडलों में अथवा राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन गठित करने की बात हो, पहचान संबंधी मुद्दों पर आधारित समीकरण मार्गदर्शी सिद्धांत बन जाते हैं।
- पहचान राजनीति ने मूलभूत परिवर्तन प्रेरित किये हैं कि किस प्रकार राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाते हैं। आजादी के शुरू के दिनों में, राजनीतिक दल, जाति, धर्म, समुदाय अथवा श्रेणी के बगैर सभी वर्गों को लुभाते थे। वे, किसी एक वर्ग के हित की बजाए समावेशी राष्ट्रीय छवि प्रस्तुत करते थे। राजनीतिज्ञों ने, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये समग्र विकास और साथ ही गरीबी-रोधी, ग्रामीण विकास अथवा रोजगार कार्यक्रमों की ज़रूरत का इस्तेमाल किया।
- संकीर्ण और स्थानीय पहचानों के फैलाव पर आधारित राजनीतिक दल पद्धति का बखिराव अविरत रूप से जारी रह सकता है। प्रत्येक घटक अपनी राजनीतिक पहचान खोजने के लिये उप-घटकों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश में, राज्य के दो प्रमुख दलित समुदायों 'माला' और 'मदगि' के बीच संघर्ष के कारण पृथक राजनीतिक संगठन कायम हो गए हैं।
- यद्यपि एक दृष्टि से ऐसी घटना को देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में मार्जनिकृत समूहों के समावेशन में एक अनविर्य कदम के रूप में देखा जा सकता है, तथापि इससे अनवरत संघर्ष और विवाद भी पैदा हो सकते हैं।

सफ़िरशिं

- राजनीतिक दलों को हमारी प्रजातांत्रिक पद्धति में अनुमत्य वसिम्मतके स्वरूपों के संबंध में एक आचरण संहिता तैयार करनी चाहिये। इसे एक कानून में शामिल किया जा सकता है, जो सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं पर लागू होगी। कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के वरिद्ध आपराधिक मामले फाइल करने और रोधक के रूप में जुरमाना आरोपित करने की व्यवस्था करके प्रजातांत्रिक वसिम्मतके नरिधारति स्वरूपों का उल्लंघन करने वालों के वरिद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी नरिधारति की जा सकती है। आपराधिक मामले फाइल करने और रोधक के रूप में जुरमाना आरोपित करने की व्यवस्था करके, प्रजातांत्रिक वसिम्मतके नरिधारति स्वरूपों का उल्लंघन करने वालों के वरिद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी नरिधारति की जा सकती है।
- इस बात पर आम सहमति होनी चाहिये कि पहचान की राजनीति प्रजातंत्र द्वारा प्रदत्त रूपरेखा के अंदर की जाएगी और इसे असाध्य संघर्ष का रूप नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से हिसा पैदा हो। राजनीतिक दलों को ऐसी आम सहमति कायम करने के लिये क्षमता नरिमति करने की जरूरत है।

अध्याय 11: क्षेत्रीय असमानताएँ

संदर्भ

- अनेक क्षेत्रीय संघर्ष देश अथवा उस राज्य के शेष भागों की तुलना में, जिस क्षेत्र विशेष का वे भाग हैं, विकास में असमानताओं का परिणाम हैं।
- देश के अंदर उसकी संघटक इकाइयों के नविल राज्य घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product-NSDP) की माप और तुलना वरिद्यमान असंतुलनों की एक झलक प्रस्तुत करती है।
- NSDP के संबंध में डाटा से स्पष्टतः पता चलता है कि अधिकतम से न्यूनतम अनुपात की दृष्टि से संपन्न और अ-संपन्न राज्यों के बीच अंतर में वरिगत चार दशकों के दौरान वृद्धि हुई है।
- न केवल राज्यों के बीच असमानताओं में वृद्धि हुई है बल्कि क्षेत्रों के बीच भी व्यापक असमानता है।
- राज्य-वार डाटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम और दक्षिण की तुलना में विकास में पछिड़ा है। उभरती स्थिति से क्षेत्रों के बीच भेद स्पष्ट है- भारत के पश्चिम और दक्षिण राज्य- एक ऐसी श्रेणी जो देश में पूर्व और उत्तर से स्पष्ट रूप से भिन्न है।
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा एक ऐसा संतुलित विकास प्रोत्साहित करने में, जिसमें सभी क्षेत्र और इलाके विकास में समर्थ हों, सरकारों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

अंतर-राज्य वषिमताएँ

- आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र इसका उदाहरण है। भौगोलिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश राज्य में तीन क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- बताया गया है कि तेलंगाना में साक्षरता दर केवल 55.95% है, जबकि तटीय आंध्र में 63.58% और रायलसीमा में 60.53% प्रतशित तथा राजधानी नगर में 79.04% है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

- यद्यपि क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिये सर्वोत्तम प्रणाली के संबंध में कोई ऐतिहासिक सर्वसम्मत नहीं है, तथापि दो तरीके हैं।
- पहला कार्य पछिड़े क्षेत्रों को प्रबलीकृत करना और उन्हें अतिरिक्त संसाधन और नविश उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी संरचनात्मक कमियों पर काबू पा सकें, जो उनके पछिड़ेपन में योगदान देती हैं।
- दूसरा विचार यह है कि अपनाए जाने वाले नीतित्तरिदेशों और कार्यनीतियों से असंगत नीतियों में कमी आणी और ऐसे क्षेत्रों की अंतरनिहित शक्ति को समर्थन प्राप्त होगा और उपयुक्त संरचनाओं के एक विकिपूरण मशिरण के ज़रिये कम विकसित राज्यों और इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये समग्र परिधि में सुधार होगा।
- कुछ राज्यों ने पहले ही विशेष बोर्ड और प्राधिकरण गठित किये हैं, जैसे कि पछिड़े क्षेत्रों के विकास के लिये क्षेत्र विकास बोर्ड (Area Development Board)ए कति ये वांछित परिणाम प्राप्त करने में खासतौर से प्रभावी नहीं हुए हैं। कार्यों के बीच दोहरेपन के परिणामस्वरूप दुर्लभ संसाधन का अपव्यय हो जाता है।
- आयोग की सफ़िरशि है कि क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिये प्रयास स्थानीय शासी एजेंसियों के माध्यम से किये जाएँ, जैसे कि ज़िला परिषद व अन्य, न कि क्षेत्र विकास बोर्डों और प्राधिकरणों, जैसे- 'वर्षिष प्रयोजन वाहनों' के माध्यम से।

पछिड़े क्षेत्रों का वनरिधारण

- हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक विकास का वरिष्लेषण प्रायः राज्य स्तर पर किया जाता है।
- लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य स्तर पर वरिष्लेषण में राज्य के अंदर भिन्न-भिन्न विकास प्रवृत्तियों को शामिल कर लिया जाए।
- समय के दौरान कुल मिलाकर राज्य की बजाय एक यूनिट के रूप में ज़िला पर बल दिये जाने की प्रवृत्ति कायम हुई है।
- कुल मिलाकर पछिड़े क्षेत्रों का वनरिधारण करने के लिये दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। स्पष्टतः पछिड़े क्षेत्रों का वनरिधारण करने के लिये एक मानक मापदंड नरिधारति करने की जरूरत है।
- यह आवश्यक है कि साक्षरता और शशु मृत्यु दरों, जैसे- मानव विकास संकेतकों को मापदंड के अंदर शामिल किया जाना चाहिये।
- जहाँ तक पछिड़ेपन की परिभाषा के लिये भौगोलिक यूनिट का संबंध है, आयोग का मत है कि जैसा कि बी. शवरिमन और हनुमंत राव समतियों ने सफ़िरशि की है, वनरिधारण के लिये ब्लॉक एक यूनिट होनी चाहिये।

विकास के लिये समग्र परविश

- अपेक्षाकृत पछिड़े राज्यों में समाज सेवाओं और अवस्थापना में नविश करने हेतु ज़रूरत नश्चिति रूप से अधिक वकिसति राज्यों की तुलना में पछिड़े राज्यों में अधिक है।
- पछिड़े राज्यों में सरकारें वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं, परणामस्वरूप वे अधिक वकिसति राज्यों के बराबर आने के लिये अपेक्षित विशाल नविशों का वित्तपोषण करने के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं है। सामान्यतः पछिड़े राज्य घटिया अवस्थापना की वजह से, जसि संसाधनों के अभाव में उन्नत नहीं बनाया जा सकता। पर्याप्त मात्रा में नजि नविश आकर्षित करने में असमर्थ होते हैं।
- नषिकर्ष रूप से चुनौती इस कुचक्र को तोड़ने की है। केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2007 में पछिड़ा क्षेत्र अनुदान नधि (Back Ward Regions Grant Fund-BRGF) कार्यक्रम शुरू किया है।
- BRGF से उपायों के वित्त पोषण में प्रमुख उद्देश्य, स्थानीय क्षेत्र विकास में न्यूनतम मानकीय अंतरों को समाप्त करना, भौतिक अवस्थापना, स्वास्थ्य और शक्ति तथा भू-उत्पादकता में सामाजिक उपलब्धियों होनी चाहिये।
- कुल मलिकर ऐसे नधियन के लिये दृष्टिकोण परणामोन्मुखी होना चाहिये। ऐसे मामलों में धन की व्यवस्था वांछित परणाम प्राप्त करने के लिये एक त्तर के रूप में जानी चाहिये, न कि खुद ही अंत के रूप में, जैसा कि विगित में किया गया है।

सफिराशें

1. मानव विकास के संकेतकों के आधार पर नर्धनता, साक्षरता और शशु मृत्यु दरों सहित, सामाजिक और आर्थिक अवस्थापना के सूचकों के साथ-साथ पछिड़े क्षेत्रों का वनिरधारण करने के लिये (एक यूनिट के रूप में ब्लॉक के साथ) एक मशिरति मापदंड योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार किया जाना चाहिये।
2. केंद्रीय और राज्य सरकारों को अधिक पछिड़े क्षेत्रों को लक्षित करते हुए नधियों के ब्लॉक-वार अंतरण हेतु एक सूत्र अपनाना चाहिये।
3. राज्य के अंदर अधिक पछिड़े क्षेत्रों को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के लिये अधशिसन ज़रूरतों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। 'विशेष प्रयोजन इकाइयों,' जैसे कि पछिड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड और प्राधकिरणों की अंतर राज्य वषिमताओं को कम करने में, भूमिका की समीक्षा करने की ज़रूरत है। स्थानीय शासनों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें उत्तरदायी तथा जवाबदेह बनाना परामर्श योग्य है।
4. अंतर-राज्य वषिमताओं में पर्याप्त रूप से कमी प्राप्त करने वाले राज्यों को (वकिसति राज्यों सहित) पुरस्कृत करने की एक पद्धति लागू की जानी चाहिये।
5. कम वकिसति राज्यों और ऐसे राज्यों में पछिड़े क्षेत्रों में अंतर-ज़िला स्तर पर प्रमुख अवस्थापना का नर्माण करने के लिये अतरिकित नधियाँ उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। सहायता की मात्रा ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात होनी चाहिये।
6. ऐसे सभी नधियन के लिये दृष्टिकोण परणामोन्मुखी होना चाहिये। कारयनीति, मानव और स्थानीय विकास के सवीकार्य न्यूनतम मानदंडों की परभाषा इस प्रकार से करने की होनी चाहिये, जसि देश में प्रत्येक ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया जाए तथा नीतियाँ, पहल और वित्त पोषण के ढंग अंतरों को पाटने तथा इस प्रकार परभाषित करने के विचार द्वारा मार्गदर्शति होनी चाहिये।

अध्याय 12: पूर्वोत्तर में संघर्ष

प्रस्तावना

- 50 वर्ष से अधिक समय के बाद भी पूर्वोत्तर में लगातार हसिक संघर्षों की कड़ी कायम है, जो प्रमुख रूप से वदिरोहियों द्वारा की जा रही है, जिनकी मांग पूरण स्वायत्तता से लेकर और अधिक राजनीतिक प्रभुसत्ता से संबंधित है।
- बगावत ने हज़ारों व्यक्तियों की जान ली है, जिनमें सुरक्षा बल और नागरिक सभी शामिल हैं।

बगावत की जड़ें:

- पूर्वोत्तर में बगावत की जड़ें इसके भूगोल, इतिहास और अनेक समाजार्थिक कारणों में छपी है।
- क्षेत्र की 98 प्रतशित सीमाएँ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं, जो शेष भारत के साथ क्षेत्र की कठिन भौगोलिक संयोजकता का संकेत है।
- यद्यपि क्षेत्र की आबादी का हसिसा जो लगभग 3.90 करोड़ है, राष्ट्रीय आबादी का मात्र 3 प्रतशित है, तथापि 1951-2001 के बीच इसकी वृद्धि दर 200 प्रतशित से अधिक रही है, जसिसे आजीविकाओं पर बड़ा बोझ पड़ा है और भू-वर्खंडन को बढ़ावा दिया है।
- सामान्यतः असम को छोड़कर पूरे क्षेत्र की आबादी में जनजातियों की प्रतशितता 27 है, यह शेष राज्यों के संबंध में बढ़कर 58 प्रतशित हो गई। प्रतशितता से क्षेत्र की जनजातीय आबादी में व्यापक विधिता की पर्याप्त रूप से झलक नहीं मलित्ती, जहाँ 125 से अधिक भन्नि-भन्नि जनजातीय समूह हैं- एक ऐसी विधिता जो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी देखने में नहीं आती है, जहाँ जनजातियों की आबादी काफी अधिक है।

संघर्षों की प्रकृति

- क्षेत्र में संघर्षों को मुख्यतः नमिनलखिति श्रेणियों के अंतरगत वभिजति किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय संघर्ष: एक पृथक् राष्ट्र के रूप में एक भन्नि 'गृह भूमि' की अवधारणा तथा इसके समर्थकों द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास।
2. जातगत संघर्ष: राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली जनजातीय समूह के वरिद्ध संख्या में कम और कम प्रभुत्व वाले जनजातीय समूहों द्वारा ज़ोर दिया जाना। असम में यह स्थानीय और प्रवासी समुदायों के बीच तनाव का रूप भी लेता है।
3. उप-क्षेत्रीय संघर्ष: ऐसे आंदोलनों वाले, जिनमें उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार किया जाना शामिल है और प्रायः राज्य सरकारों अथवा स्वायत्त परिषदों के साथ सीधे ही संघर्षरत रहते हैं।

राज्य वशिष्ट संघर्ष स्थिति

- **अरुणाचल प्रदेश:** राज्य, एनएससीएन के साथ युद्ध वरिध के बाद, जो 'तरिप ज़िले' में सक्रिय था, शांत रहा है।
- बड़ी संख्या में राज्य में बांग्लादेश से अपेक्षाकृत अधिक उद्यमी 'चकमा' वसिस्थापितों को बसाए जाने से वहाँ कुछ अशांति आई, जो अब थम गई है।
- बढ़ती आय वसिमतारें तथा रोजगार अवसरों में कमी संघर्षों का एक सशक्त स्रोत हो सकता है।
- **असम:** राज्य में बड़ी संख्या में जातगत संघर्ष वदियमान हैं अर्थात् 'वदिशियों की घुसपैठ' के वरिद्ध आंदोलन, उन्हें नषिकासति न करने की सरकार की कल्पति असमर्थता; भाषायी/समूहों के बीच समय-समय पर तनाव और जनजातीय समुदायों द्वारा संघर्ष में बढ़ोतरी, जो स्थानीय स्वायत्तता आदि की मांग करते हैं।
- **मणपुर:** फलिहाल यह 'सर्वाधिक बगावत पीड़ति' राज्य है, जहाँ राज्य में भन्नि-भन्नि जनजातियों समुदाय का प्रतनिधित्व करने वाले लगभग पंद्रह हसिक संगठन सक्रिय हैं और ये वशिष रूप से घाटी में स्वयं-पोषी गतविधियों में लपित हैं। राज्य के दौरे के दौरान आयोग को उन अनेक घटनाओं के बारे में बताया गया, जबकि विकास नधियों का इस्तेमाल वभिन्नि गैर-कानूनी और वधिवंसक गतविधियों के लिये किया गया।

एक-चौथाई मणपुर (जो घाटी है) इसकी 70 प्रतशित से अधिक आबादी के लिये नविस स्थान है, जो प्रमुख रूप से सांस्कृतिक रूप से वशिषि 'मेइतई' समुदाय से है। राज्य पर 'मेइतई' शासकों द्वारा शाही रूप से शासन किया गया था (बाद में शाही राज्य)। आज़ादी के बाद समाजार्थिक क्षेत्त्रों में 'मेइतई' प्रभाव में कमी आ गई तथा जनजातीय लोग अग्रणी बन गए, जिसका कारण आरक्षणों का होना था। राज्य के भारतीय संघ के वलिय के बारे में भी 'मेइतई' सोसायटी के एक वर्ग में नाराजगी थी-जसि नाराजगी की वजह से 1960 के दशक से मेइतई वदिरोह उत्पन्न हुआ। जनजातीय लोगों की संख्या राज्य की आबादी में लगभग 30 प्रतशित है तथा वे मुख्यतः नागा, कुकी, चनि और मजिो समूहों से संबंधित हैं। बगावत नगालैंड और मजिोरम से उस राज्य में भी फैल गई। 'मेइतई लोगों' से जनजातियों की सांस्कृतिक दूरी और भी वसित्त हो गई, जबकि 1930 के दशक तक लगभग सभी जातियों 'ईसाई धर्म' के तहत आ गईं।

- **मेघालय:** सौभाग्यवश राज्य हसि की तीव्रता से मुक्त है, जो क्षेत्त्र के बहुत से अन्य भागों में वदियमान है। 'बाहरी लोगों', वशिष रूप से बंगाली भाषी-भाषायी अल्पसंख्यकों के वरिद्ध हसि को छोड़कर राज्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है। नमिनलखिति कुछ भावी चति के क्षेत्त्र हैं-
 - राज्य सरकार और छठी अनुसूची ज़िला परिषदों के बीच बढ़ती हति संघर्ष- पूरा राज्य इस सूची के तहत है।
 - बढ़ती अंतर-जातीय प्रतदिवंदति।
 - बांग्ला देश से, वशिष रूप से गारो पहाड़ियों से घुसपैठ के बारे में उभरता तनाव।
- **मजिोरम:** अपने हसिक बगावत के इतिहास और बाद में इसमें शांति कायम होना, सभी अन्य हसि प्रभावति राज्यों के लिये एक उदाहरण है। 1986 में केंद्रीय सरकार तथा मजिो नेशनल फ्रंट के बीच 'समझौते' और इससे अगले वर्ष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाने के बाद मजिोरम में पूरण शांति और सामंजस्य कायम है।
- प्रमुख रूप से एक समतावादी सोसायटी के बीच बढ़ती आय और परसिंपत्त वसिमतारें तथा पहचान और अनु. जनजातियों के रूप में आरक्षण संबंधी मुद्दों के कारण राज्य सरकार के साथ तीन छोटी गैर-मजिो ज़िला परिषदों का असंतोष, संघर्ष के केवल संभावति क्षेत्त्र हैं।
- नागालैंड NSCN के प्रभावशाली 'मुइवाह-स्वु' के साथ युद्ध-वरिध के बाद राज्य वस्तुतः प्रत्यक्ष हसिक असंतोष से मुक्त है। कुछेक भावी चति के वधिष हैं:

1. अंतमि राजनीतिक नपिटारे का लंबति मुद्दा, जसिमें 'वशिल नगालैंड' अथवा 'नगालमि' की मांग सहति, जैसा कि पहले नोट किया गया है, नकिटवर्ती क्षेत्त्रों में, वशिष रूप से मणपुर में अशांति पैदा कर रहा है।

2. राज्य के सीमति संसाधनों के लिये बढ़ती प्रतयोगति तथा शक्ति युवाओं की बेरोजगारी की समस्या।

- **सकिकमि:** राज्य ने वकिंदरीकृत आयोजन के माध्यम से न केवल विकास के क्षेत्त्र में उत्तम कार्य किया है बल्कि वभिन्नि जातगत समूहों (मुख्यतः लेपचाओं, भूटियाओं और नेपालियों) के बीच संवैधानिक अधदिश में संतुलन कायम करके बड़े संघर्ष होने से भी बचाव किया है।
- **त्रपुरा:** राज्य के जनांकिकीय प्राफाइल में 1947 के बाद से बदलाव आया, जबकि नए उभरे पूर्व पाकसितान से बड़े पैमाने पर उत्प्रवास के कारण, मुख्य रूप से एक जनजातीय क्षेत्त्र बंगाली भाषी मैदानी लोगों की बहुलता वाला हो गया। जनजातियों को बहुत कम कीमतों पर उनकी कृषि भूमियों से वंचति कर दिया गया तथा वनों में खदेड़ दिया गया। परणामी तनाव के कारण बड़ी हसि हुई और बड़े पैमाने पर आतंक फैला, जबकि प्रभावशाली त्रपुरा नेशनल वॉलंटियर्स (टीएनवी) पूर्वोत्तर में एक सर्वाधिक हसिक उग्रवादी गुट के रूप में उभरा।
- मजिोरम के साथ नकिटता के कारण वहाँ बगावत का 'पार्श्व प्रभाव' राज्य पर पड़ा। 'गैर अनुसूचित क्षेत्त्रों' में प्रभावी वकिंदरीकरण, जनजातीय क्षेत्त्रों को एक स्वायत्त 'छठी अनुसूची' परिषद के क्षेत्त्राधिकार के अंतर्गत लाने, सफल भू-सुधारों और कृषि के सुव्यवस्थति प्रोन्नयन से वविाद की कमी में काफी योगदान मिला।

संघर्ष समाधान की वधियों

- सुरक्षा बलधपुलसि कार्रवाई
- राज्य का दर्जा प्रदान, छठी अनुसूची, मणपुरि के मामले में संविधान का अनुच्छेद 371-ग और असम में जनजातीय वशिष्ट समझौतों आदि के ज़रिये और अधिक स्थानीय स्वायत्ता ।
- वदिरोही गुटों के साथ बातचीत
- विकास कार्यकलाप, वशिष आर्थिक पैकेज सहति । पूर्वोत्तर में संघर्ष रोकथाम और समाधान के लिये, वगित की सफलताओं और असफलताओं के अनुभव से मज़बूती पाकर वभिन्न दृष्टिकोणों के एक वविकपूर्ण मशिर्ण की ज़रूरत होगी ।

संघर्ष समाधान के लिये क्षमता नरिमाण

क्षेत्र में संघर्ष समाधान के लिये क्षमता नरिमाण हेतु ज़रूरी वशिष्ट क्षेत्रों पर नमिन चर्चा की गई है:

1. प्रशासन में क्षमता नरिमाण
2. पुलसि में क्षमता नरिमाण
3. स्थानीय शासन प्रणालियों में क्षमता नरिमाण
4. क्षेत्रीय प्रणालियों में क्षमता नरिमाण
5. अन्य प्रणालियों में क्षमता नरिमाण

प्रशासन में क्षमता नरिमाण के लिये सफिरशिं

- क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों को, वविधि कार्य स्थितियों का और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिये पूर्वोत्तर से बाहर सेवा करने के लिये अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । राज्य के स्थानीय और तकनीकी अधिकारियों को बड़े राज्यों में सेवा करने और देश-वदिश में प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी व्वावसायिक अरहताएँ सुधारने के लिये भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिये ।
- पूर्वोत्तर में कार्यरत अधिकारियों के लिये उपलब्ध प्रोत्साहनों में वृद्धि की जानी चाहिये ।
- प्रशासन की वभिन्न शाखाओं के लिये, तकनीकों सेवाओं सहति, पूर्वोत्तर परषिद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रचालित किये जा सकते हैं ।
- NEC को राज्यों के तहत तकनीकी तथा वशिषज्ञ वभिगों में वरषिठ पदों के लिये क्षेत्रीय संवर्गों के वधिक फलितार्थों और व्वावहार्य की जाँच करने के लिये राज्यों के साथ चर्चाएँ आयोजित करनी चाहिये ।
- NEC तथा गृह मंत्रालय, राज्यों के सहयोग से क्षेत्र के संबंध में प्रशासनिक सुधारों के लिये एक एजेंडा तैयार कर सकते हैं, जिसके कार्यान्वयन का व्वावस्थिति ढंग से मॉनीटरन किया जाना चाहिये । इस चार्टर पर संतोषजनक ढंग से अमल करने वाले राज्य अतरिकित धन के लिये, वशिष आर्थिक पैकेज सहति पात्र हो सकते हैं ।

पुलसि में क्षमता नरिमाण के लिये सफिरशिं

- पूर्वोत्तर पुलसि अकादमी (North Eastern Police Academy-NEPA) के आधारति ढाँचे और स्टाफ में बड़े पैमाने पर उन्नयन किये जाने की ज़रूरत है, जिससे कि शुरुआती स्तर पर बड़ी संख्या में अधिकारियों की ज़रूरतें पूरी हो सकें । 'नेपा' (NEPA) का विकास बगावत से नपिटने के लिये अन्य क्षेत्रों से सविलि पुलसि अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी किया जा सकता है । केंद्रीय पुलसि संगठनों और सविलि पुलसि से, वशिष रूप से बगावत-रोधी प्रचालनों में उत्तम सेवा रकिॉर्ड वालों को अकादमी में आकर्षति और वहाँ बनाए रखने के लिये ववित्तीय व अन्य प्रोत्साहन आवश्यक हैं ।
- क्षेत्र से पुलसि कार्रमिकों को केंद्रीय पुलसि संगठनों में तैनात करने की एक स्कीम लागू करने और बाहर के क्षेत्र से पूर्वोत्तर राज्यों में पुलसि अधिकारियों की प्रतनियुक्ति को प्रोत्साहति करने के लिये ठोस उपाय अपनाए जाने की ज़रूरत है ।

स्थानीय शासन प्रणालियों में क्षमता नरिमाण सफिरशिं

- 'अनुसूचित क्षेत्रों' के साथ कम अनुकूल व्वावहार की शकियतों से बचने के लिये वधिान की छठी अनुसूची में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये, जिससे कि स्वायत्त परषिदें राज्य ववित्त आयोगों और राज्य चुनाव आयोगों की सफिरशिं से लाभान्वति हो सकें, जिसकी व्वावस्था भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 243(I) और 243(K) में की गई है ।
- केंद्रीय सरकार, मेघालय सरकार और उस राज्य में स्वायत्त परषिदें, राज्य सरकार और परषिदों के बीच वविदों का समाधान करने के लिये एक संतोषजनक प्रणाली वविसति करने के लिये परषिदों और राज्य सरकारों के बीच संबंध की ववियमान पद्धति की समीक्षा की जा सकती है ।
- गृह मंत्रालय, संबंधति राज्य सरकारों और स्वायत्त परषिदें, राज्य सरकार और परषिदों के साथ परामर्श करके, छठी अनुसूची के अंतर्गत उन शक्तियों का वनिरिधारण कर सकता है, जनिहें राज्यपाल द्वारा मंत्रपरिषिद की 'सहायता और सलाह' पर कार्रवाई करने की बजाय इस्तेमाल किया जा सके, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 163(1) में परकिल्पति है ।
- छठी अनुसूची के पैराग्राफ 14 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है, जिससे कि केंद्रीय सरकार सभी स्वायत्त ज़िलों के प्रशासन की स्थिति का आकलन करने और उस पैराग्राफ में परकिल्पति अन्य सफिरशिं करने के लिये उनके संबंध में एक सामान्य आयोग नयुक्त कर सके । आयोग के लिये समय के अंतराल की भी व्वावस्था की जा सकती है ।
- असम सरकार को 'मूल' स्वायत्त परषिदों के लिये बजटीय आवंटन नरिधारति करने तथा धन जारी करने की ववियमान व्वावस्था की समीक्षा करनी चाहिये, जिससे कि जहाँ तक व्वावहार्य हो, उन्हें बोडोलैंड क्षेत्रीय परषिद के संबंध में व्वावस्थाओं के समान बनाया जा सके ।

जनजातीय पूर्वोत्तर में ग्राम स्तर स्वः शासन हेतु सफिरशिं

- यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जाने चाहिये कि सभी स्वायत्त परषिदें, सु-परभाषित शक्तियों और संसाधनों के आवंटन की एक पारदर्शी पद्धति के साथ ग्राम स्तर निकाय स्थापित करने के लिये उपयुक्त विधान पारित करें।
- स्वायत्त परषिदों के लिये अनुदान जारी करने से संबंधित नियमों में इस संबंध में निर्धारण किये जाने चाहिये कि नरिवाचिता ग्राम स्तर निकायों के लिये उपयुक्त विधान पारित करने और उसे लागू करने पर ही परषिदें अतिरिक्त नधियन की पात्र होंगी।
- स्वायत्त परषिदों को अपने दायित्व संतोषजनक ढंग से निपटाने में समर्थ बनाने के लिये यह ज़रूरी है कि इन निकायों के लिये धन की आवश्यकता, प्रदान की जाने वाली सेवा के न्यूनतम मानकों और स्थानीय संसाधन जुटाने की क्षमता के संदर्भ में मानकीय रूप से तय की जाए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को विभिन्न विकास तथा नरिधनता उपशमन पहलुओं को कार्यान्वयित करने के लिये इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से मान्यता देनी चाहिये।
- मेघालय सरकार, राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम को कार्यान्वयित करने के लिये गारो पहाड़ियों में नरिवाचिता ग्राम समितियों के प्रयोग का, सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य भर में वसितार करने के लिये उपाय कर सकती है।
- ज़रूरी है कि उन सभी राज्यों में, जहाँ ग्राम निकाय छठी अनुसूची अथवा अन्य कानूनों के नाते, प्रथागत कानूनों के तहत न्यायप्रशासित करते हैं, ऐसे कानूनों को यथापूर्वक संहिताबद्ध किया जाए।

अन्य क्षेत्रीय संस्थान

NEC द्वारा संचालित किये गए जाने वाले दस से भी अधिक अंतर-राज्य/क्षेत्रीय तकनीकी, मेडिकल और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा पूर्वोत्तर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसके सभी राज्यों में (सकिकम सहित) असम को छोड़कर परसिर हैं, जनिहोंने पछिले वर्षों के दौरान क्षेत्र के मानव संसाधनों के उन्नयन और संवर्द्धति अंतर-राज्य समझ बूझ और सहयोग में महत्त्वपूर्ण प्रयोजन सदिध किया है।

- **नीपको (NEEPCO)** अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय वदियुत परयोजना नगिम (North Eastern Regional Electrical Project Corporation) को न केवल पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बल्कि क्षेत्र से बाहर बजिली बेचने के लिये भी इसकी प्रचुर पन-वदियुत उत्पादन क्षमता का विकास करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- **नेरामैक (NERAMAC)** अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि वपिणन नगिम (North Eastern Regional Agricultural Marketing Cooperation) क्षेत्र के कृषि और बागवानी उत्पादक के वपिणन, ऐसे उत्पाद के परसंसकरण, को प्रोत्साहित करने के लिये एक सरकारी क्षेत्रक कंपनी है। नगिम ने अत्यंत सीमित संसाधनों के साथ, परसंसकरण युनिटों के संचालन के माध्यम से अपने अधदिश को मुख्यतः पूरा करने का प्रयास किया है। यह ज़रूरी है कि यह पूर्वोत्तर के उत्पाद के लिये क्षेत्र से बाहर बाज़ार विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करे तथा उद्यमियों को परसंसकरण संयंत्र कायम करने में सुविधा प्रदान करे।
 - पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशलिप विकास नगिम (North Eastern Handloom Agricultural Marketing Cooperation) का उद्देश्य क्षेत्र के सदस्यों पुराने हथकरघा और हस्तशलिप क्षेत्रक को प्रोत्साहित करना है, जो इसकी संस्कृति और मूल्यों का भाग है। इस क्षेत्रक के ह्रास ने क्षेत्र में असंतोष की भावना पैदा करने में नःसिंदेह रूप से योग दिया है, कति NEHHDC के प्रयासों ने इस गरिते क्षेत्रक में परिवर्तन लाने में वांछति योगदान नहीं किया है।
 - **नेडफी** अथवा पूर्वोत्तर विकास और वतित नगिम (North Eastern Development and Finance Corporation-NEDFI) वाणज्यिक आधार पर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास के लिये उद्यम स्थापित करने के लिये औद्योगिक घरानों और उद्यमियों को धन प्रदान करने के लिये अनेक वतित संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक कंपनी है।

सफिराशें

NEC पूरे क्षेत्र के लिये एकसमान विधि मुद्दों का समाधान करने के लिये विज्ञानों, समाज विज्ञानों और मानवकियों में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में 'नेहू' (North Eastern Hill University — NEHU) का विकास करने के लिये एक वसितुत योजना तैयार कर सकती है। NEC, NEIGRIHMS को तृतीयक स्वास्थ उपचार के लिये विशेष रूप से नमिन आय वर्गों के लिये, एक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ व्यवस्था को भी सक्रिय रूप से समन्वित कर सकती है।

भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजसिटर

(National Register of Indian Citizens)

- राष्ट्रीय सुरक्षा पद्धति में सुधार करने संबंधी मंत्रियों के समूह ने सफिराशि की थी, क्योंकि गैर-कानूनी उत्प्रवास ने गंभीर रूप ले लिया है। इसलिये नागरिकों तथा गैर-नागरिकों के पंजीकरण को अनविर्य बनाया जाना चाहिये। इस सफिराशि को लागू करने के लिये बहु-प्रयोजन राष्ट्रीय पहचान कार्ड (Multipurpose National Identity Card-MNIC) परयोजना को जारी किया गया।
- MNIC परयोजना को कार्यान्वयित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत सरकार सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजसिटर तैयार करने के लिये एक जनगणना कसिम का सर्वेक्षण आयोजित करेगी, जिसके आधार पर कार्ड जारी किये जाएंगे। बड़ी नरिक्षरता दरों और अनेक क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत कम दस्तावेज़ी सबूत के अभाव में कार्यान्वयन एजेंसियों को इस मुद्दे पर अत्यंत सावधानी से कार्रवाई करनी होगी।

सफिराशें

- MNIC परयोजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयित किया जाना चाहिये, क्योंकि अनेक केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियाँ ऐसे पहचान पत्र जारी करते हैं। इसलिये ऐसी सभी पद्धतियों के बीच तालमेल कायम करना आवश्यक होगा, जिससे कि MNIC किसी व्यक्ति की पहचान के लिये एक

- बुनियादी परलेख बन सके और उसे एक बहु-परयोजन वैयक्तिक कार्ड के रूप में उपयोग में लाया जा सके।
- इस परियोजना कार्यान्वयन में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आयोग द्वारा अंतमि सफ़िरशैं

- उच्च स्तरीय आयोग की 'ट्रान्सफॉर्मिंग द नॉर्थ-ईस्ट' (Transforming the North East) नामक अपनी रिपोर्ट में की गई सफ़िरशैं और पूर्वोत्तर परषिद द्वारा तैयार 'विकास पहलों के संबंध में कार्य बल' (Task Force on Development Initiatives) की रिपोर्ट को क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे में अंतरालों को पूरा करने के लिये कार्यान्वयित किया जाना चाहिये।
- क्षेत्र को एक प्राथमिकतापूर्ण नविश स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिये एक व्यापक रूपरेखा तैयार किये जाने की ज़रूरत है।
- महत्त्वपूर्ण सड़क गलियारों के निर्माण के वित्त पोषण के लिये एक परविहन विकास नधिकायम की जानी चाहिये।
- 'लुक ईस्ट' (Look East) की नीति को व्यापक रूप से कार्यान्वयित करना यद्यपि पूरे देश के लिये संगत है, तथापि यह पूर्वोत्तर के दीर्घावधिक विकास के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसे कार्यान्वयित करने के लिये एजेंडा राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से तैयार किया जाना चाहिये। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच नीति के कार्यान्वयन और आयोजना के संबंध में ज़िम्मेदारी का स्पष्ट विभाजन शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिये।
- क्षेत्र में रेल संयोजकता में प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाना चाहिये।
- रज़िर्व बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों की नीतियों में और ढील देकर तथा उन्हें संवेदी बनाकर बैंक शाखाएँ व अन्य ऋण वितरण केंद्रों की स्थापना करने के लिये अधिक प्रयास किये जाने की ज़रूरत है।
- पूर्वोत्तर में व्यावसायिक व उच्च शिक्षा के लिये उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिये ITI जैसी सुविधाओं का बड़े पैमाने पर वसितार किया जाना चाहिये, जिससे कठिनाई कार्य बल का एक पूल कायम किया जा सके और उद्यमी क्षमता व साथ ही रोज़गार का भी सृजन हो सके।
- प्रथागत न्यायिक पद्धतिका गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, जिसमें वदियमान मानदंडों और प्रथाओं की बेहतर समझ और वकिसति हो सके।
- पूर्वोत्तर के लिये भू-अभिलेखों (Land Records) के अनुरक्षण की एक विश्वस्तरीय पद्धति तैयार करने की ज़रूरत है।

अध्याय 13: संघर्ष प्रबंधन के लिये प्रचालनात्मक व्यवस्था (Operational Arrangements for Conflict Management)

प्रस्तावना:

सविलि सोसाइटी में संस्थानों के अनेक संवैधानिक, सांविधिक और कार्यपालक-संस्थान हैं, जिनमें विवाद नविरण और समाधान की भूमिका नभाने की क्षमता है। इनमें से अनेक संस्थान, उदाहरण के लिये पुलसि, संघर्षपूर्ण स्थितियों में सबसे पहले दखल देती है और इसलिये उनकी कार्रवाई अथवा कार्रवाई न करने से वस्तुतः संघर्ष रुक सकता है।

कार्यपालिका तथा संघर्ष प्रबंधन- पुलसि और कार्यपालक मजसिद्रेसी

- आयोग ने 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) पर अपनी पाँचवीं रिपोर्ट व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति भंग की घटनाओं को रोकने में पुलसि तथा मजसिद्रेसी की भूमिका की वसितारपूर्वक चर्चा की है तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलसि और मजसिद्रेसी की कारगरता में वृद्धि करने के लिये व्यापक रूप से सफ़िरशैं की हैं।

सफ़िरशैं

- आयोग द्वारा 'सार्वजनिक' पर अपनी पाँचवीं रिपोर्ट (अध्याय 5 और 6) में पुलसि सुधारों से संघर्ष समाधान में और अधिक प्रभावी व सक्रिय भूमिका नभाने की संस्थागत क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।
- पुलसि अधिकारियों के दायित्व में उनके ड्यूटी चार्ट में संघर्ष समाधान को शामिल करने के लिये वसितार करते हुए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने के लिये पुलसि संहिताओं, इस विषय पर संगत इनपुटों की व्यवस्था करने के लिये प्रशिक्षण प्रारूप में भी उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये। समग्र नषिपादन का मूल्यांकन करते समय इस 'शीर्ष' के अंतर्गत उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- राजस्व व अन्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के रूप में अपनी हैसियत से कार्यपालक मजसिद्रेटों की जनता के साथ व्यापक अन्यान्यकरिया होती है तथा उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कीर्ता प्राप्त होती है। क्षेत्र की स्थितियों के बारे में उनकी जानकारी व उनके सामान्य सम्मान की वजह से वे स्थानीय विवादों में मध्यस्थता करने के लिये वार्ताकार के रूप में कार्य करने के लिये अच्छी स्थिति में होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में प्रक्रियाएँ तथा संस्थागत प्रणाली कायम करने की ज़रूरत है।

न्यायिक देरियाँ तथा वैकल्पिक विवाद समाधान

किसी सभ्य समाज में विवाद समाधान का सर्वोत्तम मंच न्यायपालिका है। कहा जा सकता है कि 'विवाद' 'संघर्ष' से भिन्न है, क्योंकि संघर्ष के अंतर्गत वरिधी दावे करने वाले बड़ी संख्या में 'वरिधी' सम्मिलित हैं- अनेक संघर्ष प्रायः न्यायिक देरियों के कारण विवादों का नपिटान न होने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

आयोग के नषिकर्ष

- न्यायिक परंपरा के बकाया मामले हमारे समाज में संघर्षों की वदियमानता के प्रमुख कारक हैं।
- न्यायिक अधिकारियों की अत्यंत कमी और न्यायिक कार्यवाहियों को शासित करने वाली कुछेक प्रक्रियाओं की वलिंबता प्रवृत्ति, न्यायपालिका के ज़रिये विवादों के धीमे समाधान के बुनियादी कारणों में शामिल हैं।
- लोक अदालतों की नूतनता केवल कुछ सीमा तक सफल हुई है। वैवाहिक विवादों, बीमा और दुर्घटना कषतपूरतियों तथा दावों आदि के नपिटान के मामलों को छोड़कर पद्धति न्यायिक बकायों को कम करने में असफल रही है। बार के कुछ सदस्यों द्वारा लोक अदालतों का समर्थन न किया जाना इसकी सीमिति सफलता का संभवतः एक कारण है।

सफ़िरशिन

- अधीनस्थ न्यायापालिका की अवस्थापना और कार्मिक के उन्नयन के लिये संसाधनों के आवंटन में संघीय राजकोषीय अंतरणों में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- लोक अदालतों की पद्धति द्वारा अपना आशातीत उद्देश्य पूरा करने और विशेष रूप से इस दृष्टिकोण को सफलता का एक अवसर प्रदान करने के लिये बार के सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की ज़रूरत है।
- वधिभंतारालय को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों और नकियायों के नरिणियों को 'अधिक अंतमि रूप देने' के साधनोपायों की खोज करने के लिये उच्च न्यायपालिका की बैच और बार के साथ संवाद आरंभ करना चाहिये।

सविलि सोसाइटी और संघर्ष समाधान

- सभी सोसायटियों में कुछ तत्त्व संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हतियों से ऊपर उठने में समर्थ होते हैं। इनके उदाहरणों में संघर्ष कषेत्रों में लंबी कार्यावधि वाले NGO, चर्च संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो हमारे देश में वभिन्न वभागों में सांप्रदायिक, जातगत, मलिटिट और वंशानुगत विवादों वाले कषेत्रों में प्रमुख रूप से वदियमान और सक्रिय हैं।
- यह भी समझा जाना चाहिये कि जो समुदाय अपने मामलों पर नरिंतरण रखते हैं, वे अधिक आत्म-वशिवासी और आंतरिक समस्याओं को अपने आप हल करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। स्थानीय विवादों की रोकथाम और समाधान में पंचायती राज संस्थानों को शामिल करने की ज़रूरत को मज़बूती के साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

सफ़िरशिन

- यदुपनि सेवाएँ प्रदान करने में सुधार करने और सामुदायिक आत्म-नरिभरता नरिमिति करने के लिये सामाजिक पूंजी नरिमाण को प्रोत्साहित किया जाने की ज़रूरत है, तथापि यह ज़रूरी है कि ऐसे प्रयासों के अंतर्गत 'इन-हाउस' विवाद समाधान करने में समुदायों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाए।
- विवाद समाधान में पंचायतों और शहरी स्थानीय नकियायों और साथ ही राज्य की 'पुलिस-भन्निन' संस्थाओं को भी शामिल करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीति मार्ग-नरिदेश तैयार किये जाने की ज़रूरत है।
- केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय कषेत्रक सूकीमों के मार्गनरिदेशों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिये, ताकि यह आवश्यक बनाया जा सके कि लाभार्थी कषमता नरिमाण के तहत स्थानीय विवाद प्रबंधन में आत्म नरिभरता वकिसिति करने पर भी बल दिया जाए।

अध्याय 14: संघर्ष प्रबंधन के लिये संस्थागत व्यवस्था

प्रस्तावना

राज्य की रूपरेखा के अंदर अनेक संस्थान और पद्धतियाँ हैं, जिनका कार्य संभावित और वास्तविक संघर्ष स्थितियों से नपिटना है। इनमें से कुछेक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा अन्यों का गठन संवधियों अथवा कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया गया है।

भारतीय संवधान में प्रमुख प्रावधान

- **अनुच्छेद 131** संघ-राज्य (यों) और अंतर-राज्य विवादों के समाधान के महत्त्व को स्वीकारता है तथा ऐसे विवादों से संबंधित मुकदमों पर विचारण करने के लिये उच्चतम न्यायालय को एकमात्र मूल कषेत्राधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 262** संसद को वधिान द्वारा, सभी न्यायालयों के कषेत्राधिकार को (उच्चतम न्यायालय सहित) विवाद के किसी संवेदनशील कषेत्र अर्थात् अंतर-राज्य नदी अथवा नदी घाटी जल विवादों को अलग रखने और ऐसे विवादों के अधनरिणयन हेतु व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 263** के अंतर्गत विवादों के समाधान हेतु अंतर राज्य परिषदों और संघ तथा राज्यों के परस्पर हति के मामलों और साथ ही उनके बीच समन्वय चाहने वाले मुद्दों के समाधान के लिये भी चर्चा करने की परकिल्पना की गई है।
- **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच कतपिय केंद्रीय करों के वभिजन मानदंडों की सफ़िरशि करने तथा राज्यों का प्रशासन सुचारु ढंग से चलाने के लिये केंद्रीय हस्तकषेप की वत्तितीय आवश्यकताओं का सामान्य रूप से आकलन करने के लिये सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिये एक अर्द्ध-न्यायिक वत्ति आयोग स्थापति करने की व्यवस्था है। इस अनुच्छेद से राज्यों की 'वत्तितीय कठनिाइयों' के कारण उत्पन्न विवादों को रोकने का स्पष्टतः पता चलता है।

- अनुच्छेद 307 के तहत अंतर-राज्य व्यापार और वाणजिय को सुकर बनाने के लिये एक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्राधिकार दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, अन्य प्रावधान हैं, जिनमें शामिल है:

- अनुच्छेद 350 B, जिनके तहत भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है तथा अनुच्छेद 338 और 338 (A) हैं, जिनके तहत क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों के हितों को संरक्षण प्रदान व प्रोत्साहित करने के लिये आयोगों की व्यवस्था है। ऐसे प्रावधानों का उद्देश्य संघर्ष का रूप लेने की गुंजाइश को कम करना है।

महत्त्वपूर्ण अधिकारिक विवाद नविवरण/समाधान एजेंसियाँ

1. संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित संस्थान
2. वधायी अधिनियमों के अंतर्गत संस्थान
3. सरकार के कार्यपालक आदेशों के तहत जारी विचार-विमर्शी मंच अथवा संस्थान।

A संवधान के तहत संस्थान

अंतर-राज्य परिषद (Inter State Council)

अंतर-राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान यदाकिसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि निम्नलिखित कर्तव्य सौंपकर एक परिषद की स्थापना द्वारा सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी:

- (a) राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के संबंध में जाँच करना तथा उनके संबंध में सलाह देना।
- (b) उन विषयों की जाँच-पड़ताल और चर्चा करना, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों का अथवा संघ अथवा एक अथवा अधिक राज्यों का सामान्य हित हो।
- (c) ऐसे कसि विषय पर सफारिशें देना और विशेष रूप से विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु सफारिशें करना।

अंतर-राज्य परिषद की संरचना

- प्रधानमंत्री - अध्यक्ष
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री
- (राज्यों के राज्यपाल जहाँ अनुच्छेद 356 प्रचालन में हैं);
- संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, जहाँ विधानसभा नहीं है;
- केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल दर्जे के छः मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा (केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रियों को स्थायी आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदा परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए अथवा जब कभी भी उनके प्रभार के अंतर्गत कसि विषय से संबंधित, कसि विषय से संबंधित कसि मद पर चर्चा की जाती है)।

आयोग के नषिकर्ष

- अंतर-राज्य परिषद की स्थापना के बाद से इसकी दस बैठकों में अधिकांश चर्चा, सरकारी आयोग की सफारिशों पर चर्चा और उनकी समीक्षा करने तक सीमति थी।
- अंतर-राज्य परिषद को उसके लिये संवधान के तहत प्रदत्त 'पूर्ण' भूमिका प्रदान की जानी चाहिये अर्थात् संघ और राज्यों के हित वाले मामलों में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वयन और विवाद समाधान दोनों के संबंध में।
- अंतर-राज्य परिषद का गठन जब भी ज़रूरत हो तब किया जाए तथा इसके बने रहने की ज़रूरत नहीं है।

सफारिशें

- संवधान के अनुच्छेद 263 (a) के तहत अंतर-राज्य परिषद के लिये परकिल्पित संघर्ष समाधान भूमिका का प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिये, जिससे कि राज्यों के बीच अथवा कुछ राज्यों और संघ के बीच विवादों का समाधान खोजा जा सके।
- अंतर-राज्य परिषद कोई स्थायी निकाय नहीं है। जब भी विशेषित ज़रूरत हो, संघ अथवा संबद्ध राज्यों के हित के मामलों के संबंध में विवाद अथवा नीति अथवा कार्रवाई के समन्वय पर विचार करने के लिये परिषद का गठन और आयोजित करने के लिये एक उपयुक्त राष्ट्रपति आदेश जारी किया जा सकता है। जिस प्रयोजन के लिये निकाय का गठन किया गया है, उसके पूरा हो जाने पर यह निकाय कार्य करना बंद कर सकता है।

- अंतर-राज्य परिषद की संरचना शथिलिनीय हो सकती है, जो अनुच्छेद 263 के तहत संदर्भित मामले की ज़रूरतों के लिये उपयुक्त हो।
- यदि आवश्यक हो तो एक समय पर भिन्न-भिन्न वचिारार्थ वषियों और संरचना के साथ, जैसा क्प्रत्येक परिषद के लिये ज़रूरी हो, एक से अधिक अंतर-राज्य परिषद वदियमान रह सकती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचति जातआयोग और राष्ट्रीय अनुसूचति जनजातआयोग

(National Commission for Scheduled Castes and National Commission For Scheduled Tribes)

दोनों नकियों की ज़मिमेदारी के सामान्य क्षेत्र हैं:

1. संवधान अथवा अन्य कानूनों के तहत व्यवस्थति अनु. जात/अनु. जनजातके लिये सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की जाँच-पड़ताल और नगिरानी।
2. इन समूहों के लिये व्यवस्थति सुरक्षोपायों के उल्लंघनों के वशिषिट मामलों की जाँच।
3. आयोजना और समाजार्थकि वकिस में भागीदारी तथा संघ और राज्यों में ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन।
4. अनु. जात/अनु. जनजातके लिये सुरक्षोपायों के कामकाज के बारे में संसद को वार्षकि रपिोर्ट प्रस्तुत करना।
5. सुरक्षोपायों के बेहतर कार्यान्वयन और संगत समूहों के समाजार्थकि वकिस के लिये सफिरारशें करना।

आयोग के नषिकर्ष

- अभी तक इन नकियों के कामकाज का स्वतंत्र रूप से कोई आकलन नहीं कया गया है।
- उनकी रपिोर्टों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दया गया है।
- संगत श्रेणियों से संबंधति सरकारी और सरकारी क्षेत्रक कर्मचारियों की अलग-अलग शकियतों और कठनाइयों को दूर करने में काफी समय और प्रयास करना पड़ता है।
- पदोन्नतियों, स्थानांतरणों, तैनातियों आदि से संबंधति सामूहकि शकियतों और वैयक्तकि दावों के बीच भेद करना ज़रूरी है।
- इन आयोगों के लिये ज़मिमेदार प्रशासनकि मंत्रालयों को आयोगों के साथ वचिर-वमिर्श करके, उन्हें अपने संवधानकि दायित्वों के प्रभावी नपिटान में समर्थ बनाने के लिये साधनोपायों पर सावधानीपूर्वक वचिर करना चाहयि।

सफिरारशें

- राष्ट्रीय अनु. जातआयोग और अनु. जनजातआयोगों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य वभिन्न क्षेत्रों में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिये उनकी शर्तों के मामले सहति व्यवस्थति, सुरक्षोपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा, नगिरानी और मार्गदर्शन करना है। यह अनविर्य है क्दिनों आयोगों द्वारा अलग-अलग प्रकृति के मामलों पर बल देने की बजाय, जनि पर प्रशासनकि मंत्रालयों/उपयुक्त मंच द्वारा गौर कया जा सकता है तथा आयोग एक क्रांतकि नगिरानी की भूमकि अदा कर सकते हैं, नीतगित और कार्यान्वयन के बड़े मुद्दों पर ही मुख्य रूप से बल दया जाए।
- दोनों आयोगों से जुड़े प्रशासनकि मंत्रालय एक प्रकरया आयोजति कर सकते हैं और इन नकियों के साथ परामर्श करके इस बारे में ब्योरे तय कर सकते हैं ककिसि प्रकार इन नकियों को अपने संवधानकि अधदिश का नपिटान करने में बेहतर ढंग से समर्थ बनाया जा सकता है।

सांवधिकि नकिय (Institutions Under Legislative Enactments)

क्षेत्रीय परिषद (Zonal Councils)

- 'क्षेत्रीय आधार' पर अंतर-राज्य परिषदें स्थापति करने की ज़रूरत प्रमुख रूप से 1956 में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न समस्याओं से नपिटने के लिये महसूस की गई।
- राज्य पुनर्गठन अधनियम, 1956 (1956 का अधनियम संख्या 37) की धारा 15 से 22, चार क्षेत्रों (उत्तर, दक्षणि, पूर्व और पश्चिम) के कामकाज के वभिन्न पहलुओं से संबंधति है।
- इन परिषदों में एक केंद्रीय मंत्री, जसि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कया जाता है और जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, क्षेत्र में राज्यों के मुख्य मंत्री और सदस्य-राज्यों से दो-दो मंत्री, जनिहें राज्यपाल द्वारा सदस्यों के रूप में नामजद कया जाता है, सम्मलित होते हैं। अधनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत परिषद के लिये नमिनलखिति कर्त्तव्य नरिधारति कये गए हैं:

1. आर्थकि और सामाजकि आयोजना के क्षेत्र में समान हति का कोई मामला।
2. सीमा वविाद, भाषायी अल्पसंख्यकों अथवा अंतर-राज्य परविहन से संबंधति कोई मामला।
3. राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न अथवा संबंधति कोई मामला।

आयोग के नषिकर्ष

- पछिले समय के दौरान परिषदों की केवल कभी-कभी बैठकें हुईं।
- सचविलयों के प्रचालन समाप्त हो गए हैं तथा राज्य मुख्य सचवियों द्वारा बारी-बारी से परिषदों के सचवियों के रूप में कार्य करने की प्रथा पर शायद ही

अमल किया गया है।

- ये नकिया, अंतर-राज्य परषिद सचवालय के माध्यम से गृह मंत्रालय की एक अनुषंगी ज़मिमेदारी बन गए हैं।
- उत्तर प्रदेश, बहिर और उत्तर प्रदेश के वभिजन के माध्यम से क्रमशः उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की हाल ही में स्थापना से उपयुक्त क्षेत्रीय परषिदें पुनः सक्रिय नहीं हुईं तथा आवश्यक समन्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा द्वपिक्षीय रूप से कयि गए।
- संक्षेप में क्षेत्रीय परषिदें न केवल सुप्त हैं बल्कि प्रतीत होता है कि उनमें पुनः सक्रिय करने में रुचिका अभाव है।

सफिरशि

- क्षेत्रीय परषिदों की पद्धत को समाप्त कर दया जाना चाहयि। एक ही क्षेत्र में राज्यों के बीच अंतर-राज्य समन्वय अथवा ववादों के महत्त्वपूर्ण मुद्दों को, जब कभी ज़रूरी हो, उपयुक्त संरचना और वचारार्थ वषियों के साथ अंतर-राज्य परषिद को सौंपा जा सकता है, जसिसे ककिसी नश्चिति मुद्दों पर गहराई से वचार कया जा सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(National Human Right Commission)

- आयोग की स्थापना, मानवाधिकार संरक्षण अधनियम, 1993 के तहत 1994 में की गई थी तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और चार सदस्य हैं, जनिमें से दो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय अनु. जात, अनु. जनजात, अल्पसंख्यक और पछिडा वर्गों के आयोगों के अध्यक्ष पदेन सदस्य हैं, जब सामान्य रूप से इनमें से कसिी आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतरगत आने वाले मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वचार कया जाता है।
- अधनियम की धारा 2(घ) के अंतरगत यथा परभाषति 'मानवाधिकार' शब्द का कार्यक्षेत्र, संवधान में गारंटीशुदा मूलभूत अधिकारों की अपेक्षा काफी व्यापक है, क्योकि इसमें "संवधान द्वारा गारंटीशुदा अथवा अंतरराष्ट्रीय अभसिमर्यों में सम्मलित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, आज़ादी, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार" सम्मलित हैं।
- आयोग ने अनेक स्थितियों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के हति को समर्थन प्रदान करने में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया है। 'बेस्ट बेकरी केस' को गुजरात राज्य से बाहर स्थानांतरित करने के लयि उच्चतम न्यायालय के साथ सफलतापूर्वक अनुरोध करना इस संबंध में अनेक मामलों में से एक मामला है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग

(National Minorities Commission and National Commission for Backward Classes)

- ये आयोग, राष्ट्रीय अनु. जात/अनु. जनजात आयोगों की तरह काम करते हैं, अंतर इतना है कयि अपनी शक्तसिंसी वधानों से प्राप्त करते हैं, संवधानिक प्रावधानों से नहीं।
- 'संवधानिक आयोगों' के संदर्भ में की गई टपिपणयिँ इनके मामले में भी लागू होती हैं।

राष्ट्रीय एकता परषिद (National Integration Council-NIC)

NIC की स्थापना, तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जनिहोंने जबलपुर में तथा मध्य भारत में कतपिय अन्य स्थानों पर प्रमुख सांप्रदायिक समूहों को देखते हुए, सांप्रदायिकता, जातवाद, क्षेत्रीयता, भाषायी उन्माद और संकीर्णता आदि की बुराइयों से जूझने के लयि साधनोपाय खोजने के वास्ते सतिंबर 1961 में एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया।

आयोग के नषिकर्ष

- सम्मेलन से उभरने वाले महत्त्वपूर्ण नषिकर्षों में से एक नषिकर्ष, राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और उनके संबंध में सफिरशि करने के लयि, राष्ट्रीय एकता परषिद NIC की स्थापना करना था।
- तदनुसार NIC की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक 2 व 3 जून, 1962 को आयोजित की गई।
- परषिद का पछिली बार पुनर्गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तथा 141 सदस्यों के साथ 2005 में, पंद्रह वर्ष के बाद कया गया था।

सफिरशि

- राष्ट्रीय एकता परषिद (NIC) के अधदिश में अपेक्षति है कि राष्ट्रीय सामंजस्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर, न कि केवल सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता हसिा पर वचार कया जाए। NIC के एजेंडे को वविधीकृत बनाए जाने की ज़रूरत है।
- परषिद के समक्ष मूल मुद्दों पर छोटी, वषिय-वशिषिट समतियों द्वारा वसितारपूर्वक वचार कया जा सकता है।
- NIC की संरचना को युक्तसिंगत बनाया जाए, ताकि वविधि कसिम के मुद्दों पर वचार कया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा हति समूहों तथा उन वशिषज्जता समूहों का पता लगाने के लयि सामान्य रूपरेखा तक की जा सकती है, जनिहें NIC में प्रतनिधित्व दिए जाने की ज़रूरत है।

- परषिद की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है, जबकि उप-समितियों की बैठक, जब भी आवश्यक हो, सौंपे गए कार्य को एक समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिये आयोजित की जा सकती है।
- NIC की कार्यवाही का सारांश संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परषिद (Indian Council of Social Science Research- ICSSR) और योजना आयोग, राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दों पर या तो वदियमान संस्थान में अथवा एक नए संस्थान को प्रोत्साहित करके अथवा नेटवर्क के रूप में चर्चा करने के लिये एक बहु-वर्षिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण मंच स्थापित करने के मामले में पहल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय विकास परषिद (National Development Council- NDC)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और सदस्यों के रूप में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक शीर्ष निकाय (NDC) के रूप में 1952 में स्थापित इसका मूल उद्देश्य राष्ट्र को पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में अभिप्रेरित करने तथा संतुलित और तीव्र विकास के लिये आर्थिक नीतियाँ प्रोन्नत करना था।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

(Central Advisory Board on Education- CAB)

CABE प्रधान इस समूह में अनुठा है, न केवल इसलिये कि यह अपनी कसिम का एक प्राचीनतम निकाय है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी बल्कि इसलिये भी कि इसने गंभीर विवादों के समाधान में तथा शिक्षा से संबंधित, विशेष रूप से 1976 से पहले की अवधि के दौरान, जब 'शिक्षा' एकमात्र रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार के तहत थी, मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमतिकायम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अत्यंत जटिल और भावात्मक मुद्दे, जैसे कि 'त्रिभाषा सूत्र' (Three Language Formula) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय शिक्षा नीतिका समाधान भी CABE के माध्यम से कर लिया गया। दुर्भाग्यवश, इस महत्त्वपूर्ण सहमतिकायम करने वाले मंच को 1990 के दशक के दौरान नषिकरयि रहने दिया गया, 2004 से इसका पुनरुज्जीवन एक उत्तम संकेत है।

सफिराशि

राष्ट्रीय विकास परषिद और अन्य शीर्ष स्तर निकायों के संबंध में क्रियावधि संबंधी वशिषिट नयिम तैयार किये जाने चाहिये, ताकि संकेंद्रित विचार-वमिर्श सुनिश्चित हो सके।

अन्य संस्थागत नूतनताएँ

- यद्यपि विवादों में कमी लाने और उनके समाधान के लिये वदियमान संस्थानों और मंचों को मज़बूत और प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है, तथापि कुछेक संस्थानों की वदियमान रूपरेखा का वसितार करने की भी ज़रूरत है, ताकि बातचीत और विचार-वमिर्श की कतपिय सदिध पद्धतियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सके।

समतिके नषिकर्ष

- राज्य-वशिषिट संघर्ष स्थितियों पर चर्चा करने के लिये, संभाव्य विवादों सहित राज्य स्तर एकता परषिदों की स्थापना तथा ऐसी परषिदों की NIC के साथ नेटवर्कगि की एक पद्धतिका व्यवस्था करना।
- एक ही राज्य के भागों अथवा वशिषिट शिकायतों को दूर करने अथवा मांगों को पूरा करने के लिये आंदोलन कर रहे लोगों की एक बड़ी मांग वाले विवादों को उन व्यक्तियों की मध्यस्थता के जरिए निपटाया जा सकता है, जनिहें समुदाय के अंदर सम्मान और स्वीकार्यता प्राप्त हो।
- व्यापक रूप से अपनी नषिकर्षता और वविक के संबंध में जनता का व्यापक रूप से भरोसा और वशिवास प्राप्त करने वाले जीवन के वभिन्नि क्षेत्रों से चुने गए वशिष्यात व्यक्तियों को शामिल करके 'शांति समितियाँ' गठित करके इस दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

सफिराशें

- राज्य स्तर विवाद स्थितियों का जायजा लेने के लिये राज्य एकता परषिदें (State Integration Councils) गठित की जा सकती हैं, जनिका NIC के साथ उपयुक्त तालमेल हो। महत्त्वपूर्ण मामलों में राज्य स्तर निकायों की रिपोर्ट को भी NIC के विचारार्थ सलाह और सफिराशें हेतु लाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता परषिद की सदस्यता के बारे में नरिणय लेने के वास्ते मार्गनिर्देशों में राष्ट्रीय निकाय में राज्य एकता परषिदों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये समुचित प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है।
- राज्य परषिदों के साथ उपयुक्त संयोजनों के साथ ज़िला स्तर एकता परषिदें (ज़िला शांति समितियाँ) स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है, वशिष रूप से उन जिलों के लिये हसिक वभिजक संघर्ष हुए हैं। इनमें प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, जनिहें समाज के सभी वर्गों का वशिवास प्राप्त हो। ये निकाय संघर्षपूर्ण स्थितियों में मध्यस्थ और सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं।

नषिकर्ष

- यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में यह एक बढ़ता कषुब्धकर भ्रम है कि हसिक आंदोलन का मार्ग अपना पीड़ित समूहों के लिये अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने की एक पसंदीदा कार्यनीति है, बजाय इसके कि प्रजातांत्रिक आंदोलन और वसिमता की संवैधानिक वधियों को अपनाया

जाए।

- भारत को आज ऐसे राजनीतिक आंदोलनों के प्राचलों की ज़रूरत है, जो शांतपूरण रहें, एक ऐसी राजनीतिक गतविधि जो सभ्य और मानवीय हो, एक ऐसी राजनीति जो परस्पर गुंजाइश और सम्मान पर कायम हो। आक्रमकता के बगैर प्रजातांत्रिक सौदेबाजी के लेने और देने पर आधारित हो तथा ऐसे संघर्ष, जो छड़ों और पत्थरों की बजाय वचिारों और चतिन पर आधारित हो।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/capacity-building-for-conflict-resolution>

